

सर्वोदय जगत

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुरव-पत्र

वर्ष-39, अंक-23, 16-31 जुलाई, 2016

अकेले ही आगे बढ़ने का साहस

अगर आप सुधार की आवश्यकता और वांछनीयता की स्वीकार करते हैं, अगर आप आवश्यकतानुसार प्राचीन परम्पराओं और प्रथाओं की रक्तभूमि करना आवश्यक और वांछनीय समझते हैं और अगर आप यह मानते हैं कि वर्तमान युग के अनुकूल नीति और सदाचार की नयी व्यवस्था खड़ी करना जरूरी और इष्ट है, तो फिर दूसरों की अनुमति लेने का या दूसरों की यकीन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुधारक दूसरों के विचार बदलने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसी सारी दुनिया का विरोध होते हुए श्री सुधार की दिशा में अगुआ बनना चाहिए और अकेले ही आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए।

(‘महात्मा गांधी, दि लास्ट फेज’)

—महात्मा गांधी

सर्व सेवा संघ

(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

सर्वोदय जगत

सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश बाहक

वर्ष : 39, अंक : 23, 16-31 जुलाई, 2016

संपादक

बिमल कुमार

मो. : 9235772595

कार्यकारी संपादक

डॉ. योगेन्द्र यादव

संपादक मंडल

डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय

सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र

राजधानी, वाराणसी-221001 (उ.प.)

फोन : 0542-2440-385/223

ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310

IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India

विज्ञापन दर

पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये

आधा पृष्ठ : 1000 रुपये

चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

इस अंक में...

1. विश्वास का संकट...	02
2. तुलसी का पावन स्मरण...	03
3. गांधीवाद के ठेकेदार...	06
4. 'जिस चीज को गलत समझता हूँ...	08
5. हिन्दी की कहावतें समाज को चेतना...	10
6. 'तलाक-उल-बिद्दत'...	12
7. खैरात खाने से इनकार...	14
8. चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष...	15
9. 'मन की बात अपनों के साथ'...	16
10. नीबू के औषधीय गुण...	17
11. भारत की संस्कृति जड़ नहीं है...	19
12. लड़का और जामुन...	20

संपादकीय

विश्वास का संकट

इस युग में दुनिया दो चीजों के पीछे भाग रही है। एक है—शांति और दूसरी है—समृद्धि। युवा वर्ग येन-केन प्रकार से धन कमाना चाहता है और प्रौढ़ वर्ग अनीति से कमाए धन की निःसारता को समझने के बाद शांति की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है। पर वह प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसे प्राप्त करने के लिए विनोबा भावे ने तीन रास्ते बताए हैं—वेदांत, विज्ञान और विश्वास। इस देश का बहुसंख्यक व्यक्ति आज भी वेदों को ही अपना सर्वोपरि ग्रंथ मानता है। जिसके कारण विज्ञान के प्रति जो झुकाव होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता है। रही बात विश्वास की, तो उसमें निरंतर कमी आ रही है। आज हालात इतने खराब हो गये हैं कि पिता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-भाई, सगे-सम्बन्धी, मित्र, कर्मचारी-अधिकारी, अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी हो, किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा है। सभी एक-दूसरे के प्रति शंका व ईर्ष्या का भाव रखते हैं। जहाँ शंका-ईर्ष्या होगी, वहाँ प्रेम का अभाव होगा। जहाँ प्रेम का अभाव होगा, वहाँ लोग संगठित नहीं हो सकते हैं। एक-दूसरे के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। इस कारण जीवन और विकास दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य एकाकी जीवन जी रहा है। जबकि वह सामाजिक प्राणी है। वह समूह में दीखता तो है, पर होता नहीं है। जबकि समृद्धि भी सामूहिक प्रयास से आती है। इसी कारण तमाम यातना भुगतने के बावजूद किसी एक पटल पर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इस देश में किसी भी आंदोलन में जन भागीदारी नहीं दिख रही है। इस देश में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार जनता सरकार के सामने खड़ी हुई थी,

लेकिन उसका अंत बड़ा दुखद हुआ। एक नयी राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। इन राजनीतिक दलों के प्रति इस देश की जनता का विश्वास उठ गया है। उसे न तो इस देश की सरकारों से कोई आशा रह गयी है और न ही विपक्षी दलों से।

सबसे बड़ा जो सवाल इस समय इस देश के सामने मुँह बाये खड़ा है, वह है विश्वास का संकट। उसे कैसे दूर किया जाए। इसका भी समाधान विनोबा भावे ही बताते हैं। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर कोई अनीति का कार्य नहीं करता है। उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होते हैं। हमें उन कारणों को ढूँढ़ना होगा और उसे समाप्त करने के लिए सामूहिक पहल करनी होगी। जब तक हमारे मन में यह विचार रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर अनैतिक कार्य नहीं करता, तब तक हमारा मनुष्य या अमुक के प्रति प्रेम कम नहीं होगा। अफसोस होगा। इससे अविश्वास की स्थिति आयेगी ही नहीं। वह टल जायेगी। यदि कहीं थोड़ी-बहुत दिखाई भी पड़ेगी, तो उसे संवाद से दूर करने की गुंजाइश रहेगी। इससे हमारी एका भी बनी रहेगी। एक-दूसरे के प्रति संवेदनात्मक स्तर पर जीने की गुंजाइश बनी रहेगी। जो संकट आज की सरकारों के द्वारा प्रायोजित हैं, उसके खिलाफ बिना किसी असमंजस के पूरा देश एक साथ खड़ा हो सकेगा। हर स्तर पर अहिंसक आंदोलन होगा। हर रिश्ते में प्रेम होने से जीवन खुशहाल होगा। इससे शांति भी मिलेगी और समृद्धि भी प्राप्त होगी।

-डॉ. योगेन्द्र यादव

सर्वोदय जगत

तुलसी का पावन स्मरण

□ विनोबा

राम-गंगा के भगीरथ

“तुलसी महाराज की पुण्यतिथि का स्मरण करने के लिए हम सब प्रातःकाल यहाँ आये हुए हैं। मुझे अभी याद आया, उन्हीं का एक वचन है—‘राम ते अधिक राम कर दासा’।

इस दुनिया में राम का यश भक्त शिरोमणि और सब कवियों के मुकुटमणि वाल्मीकि महर्षि ने फैलाया। अगर वाल्मीकि नहीं होते, तो जगतउद्धारिणी राम-कथा हम भक्तों को नहीं मिलती। गंगा तो हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में बहती है, लेकिन रामायण की कथा सारे भारत वर्ष में बहती है। वाल्मीकिजी तो रामजी से भी बढ़ गये। यदि राम नहीं होते, तो वाल्मीकि न होते; पर यदि वाल्मीकि न होते तो रामजी का यश हम भक्तों के पास न पहुँचता। हमारे लिए तो वाल्मीकिजी राम से भी बढ़कर उपकार करनेवाले हुए।

तुलसीदास की महत्ता

तुलसीदासजी, जो वाल्मीकि के भक्त थे, वाल्मीकि से भी आगे बढ़ गये। उन्होंने राम-कथा पहुँचायी—मेहतर की झोपड़ी में! तुलना करना अच्छा नहीं है। जहाँ एक ही सुवर्ण के सब अलंकार हों, वहाँ उन अलंकारों में फरक करना मोह मात्र होगा। फिर भी समझने के लिए शब्द बोले जाते हैं, उपमाएँ भी समझने के लिए मनुष्य देता है। मेरा ख्याल है कि इस उत्तर प्रदेश में, बुद्ध भगवान के बाद, जनहितकारी तुलसीदासजी सबसे महान् हो गये हैं।

रामायण की सार्वभौम उपासना

वैसे, राम-कथा—जैसा अभी मैंने कहा—समग्र भारत को पावन करती है। उधर मलवार के एक कोने में एक शूद्र जाति का भक्त मिला—राम-कथा के प्रचार के सर्वोदय जगत

लिए। हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है, और यहाँ इतने महापुरुष हो गये हैं कि एक सिरे के लोगों को दूसरे सिरे के महान् पुरुषों का नाम भी मालूम नहीं है। एकुत्तच्छन् नाम है उस महाकवि का, जिन्होंने मलयालम में रामायण लिखी है। तमिल भाषा में साहित्य की दृष्टि से जो किताब सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वह कम्ब रामायण है। जो गौरव अंग्रेजी में शेक्स्पीयर को प्राप्त है, वही गौरव तमिलनाडु वाले कम्बन को देते हैं। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज हो गये, अत्यन्त दयालु, नवनीत के समान जिनका हृदय। उन्होंने मुख्य ग्रंथ तो भागवत् लिखा, लेकिन रामायण भी लिखी। एकनाथ तुलसीदास के समकालीन थे, समवयस्क भी थे और यहीं काशी में रहते थे। उन्होंने अपना महान् ग्रंथ भागवत् यहीं, काशी में, पूर्ण किया, जैसे कि तुलसीदासजी ने रामायण काशी में पूरी की। गुजरात में गिरिधर की रामायण लोक-प्रसिद्ध है। बंगाल में कृतिवास ने रामकथा गायी है।

तुलसीदास का अद्वितीय यश

ये सारे भक्त हो गये। वे कवि भी थे, लेकिन जो यश भगवान् ने तुलसीदासजी को दिया, वह एक अद्वितीय यश था। “भलो जो है, पोंच जो है, दाहिनो जो बामरे।” सबके काम की चीज तुलसीदासजी ने दी, जिसके आधार से सज्जन आत्मानंद पाते हैं, जिसके कि आधार से दीन-हीन-पतित अपना आश्वासन पाते हैं, जिसके आधार से थकामांदा किसान अनंत चिन्ताओं के बावजूद रात को गहरी नींद सो सकता है, जिसके आधार से आप देखेंगे कि युनिवर्सिटियाँ चलने वाली हैं, और आप यह भी देखेंगे कि जिसके आधार से राष्ट्रभाषा का प्रेम भारत में फैलेगा

और भारत एक-जीव बन जायेगा।

नाम-महिमा के प्रतीक

इतना सब तुलसीदासजी कैसे कर सके? इतने ऊँचे वे कैसे हुए? क्योंकि वे अपने को सबसे नीच मानते थे। भगवान् ने पापियों का उद्धार किया, इसके कुछ उदाहरण, जो सबको मालूम हैं, तुलसीदासजी ने पेश किये, और फिर वे कहते हैं कि “दुनिया में ये जो प्रसिद्ध पापी गिने जाते हैं, वे भी ऐसे हैं, जिनके पास कुछ पुण्य भी था और कुछ पाप भी। इस तरह जिनके पास सुकृत और दुष्कृत, दोनों बातें थीं, उनका उद्धार हुआ तो उसमें कौन-सा आश्रय है? लेकिन रामनाम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि जो ‘प्रगट पातक रूप तुलसी’ है, उसका भी उद्धार हुआ।”

नप्रता की सीमा

गणिका, अजामिल तथा दस नाम और लो। वे सब तुलसीदास की निगाह में उतने पापी नहीं थे, जितना वे अपने को पापी समझते थे। वे अपने को सबसे नीच समझते थे। गीता में ज्ञान के लक्षण बताये हैं। उनमें पहला लक्षण बताया है, ‘अमनित्वम्।’ आप देखेंगे कि तुलसीदासजी की वाणी में अहंता का लेश भी नहीं है। उनके मन में ही वह न था, तो वाणी में कहाँ से आयेगा? हम जरा कुछ अच्छा काम कर लेते हैं—जो कि सहज परिस्थिति वश हम से हो जाता है, तो उसके लिए कितना अभिमान हमारे मन में होता है—यद्यपि कई पाप हम कर लेते हैं, जिनको हम छिपाते रहते हैं। खैर, छिपायें; लेकिन रामजी से भी वे कैसे छिपा सकते हैं?

स्वांतः सुख में विश्व-सुख की साधना

भक्त का लक्षण तुलसीदासजी गा रहे

हैं—“जहाँ-तहाँ देखि धरे धनु-बाना”—जहाँ भी भक्त की नजर जाती है, धनुष-बाणधारी भगवान् का दर्शन तुलसीदास को होता है। क्या ताकत है विकारों की, कि वे आक्रमण कर सकें? जहाँ धनुष-बाण लेकर पापहारी खड़े हैं, वहाँ विकार क्या कर सकते हैं? तो वे सर्वत्र हरि-भाव से देखते थे, अपने को सबकी चरण-रेणु मानते थे।

उनकी किताब ने दुनिया में क्या चमत्कार किया, वह हम आज देखते हैं। लेकिन वे मानते थे कि यह तो मैं आत्म-समाधान के लिए लिख रहा हूँ।

कोई भी पूछ सकता है कि क्या उन्हें ऐसा आभास नहीं हुआ होगा कि उनकी पुस्तक लोकाद्वारक सिद्ध होगी? क्या रामायण लिखते समय लोकस्थिति का चित्र उनके ध्यान में नहीं रहा होगा? और क्या उन्होंने उसकी उपाय योजना भी नहीं सोची होगी? क्या केवल आत्म-समाधान के लिए ही उन्होंने रामायण लिखी होगी? इस तरह मनुष्य पूछ सकता है। लेकिन तुलसीदास के सामने ये सवाल नहीं टिकेंगे। इसलिए कि वे अपने को दुनिया से भिन्न और दुनिया को अपने से भिन्न समझते ही नहीं थे। उनके आत्म समाधान में सारे विश्व का समाधान निहित था। जब वे कहते हैं कि मेरे जैसा “प्रकट-पातक सम” तर गया तो क्या हम यह समझें कि वे अपने निज के लिए, अपनी इस देह के लिए यह सब कह रहे हैं? नहीं, वे समाज के अत्यन्त पापी और पतित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे गांधी महाराज ने आमरण दरिद्रनारायण का प्रतिनिधित्व किया, वैसे तुलसीदास ने सबसे अधिक पापी का प्रतिनिधित्व किया। उसके साथ वे एकरूप हो गये। उसके पाप उन्होंने अपने निज के पाप महसूस किये। इसलिए उनके स्वांतः सुख में सारे विश्व का सुख समा गया।

साहित्यिक से बढ़कर भक्त

जेल में हम ऐसे ही तुलसीदासजी की

पुण्यतिथि के मौके पर इकट्ठे हुए थे और “मुखरस्तत्र हन्यते” के न्याय से मुझे वहाँ बोलने को कहा गया। मैंने बहुत नम्र भाव से कहा, तुलसीदासजी को हम केवल साहित्यिक की नजर से न देखें। विष्णु का यश हम इसलिए न गायें कि उनके पास लक्ष्मी रहती हैं—बावजूद इसके कि उनका उस ओर ध्यान नहीं है। बल्कि बावजूद भी नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मी उनके पास इसलिए हैं कि विष्णु उनकी ओर ध्यान नहीं देते। आख्यायिका मशहूर है कि लक्ष्मी ने स्वयंवर के अवसर पर जाहिर किया था कि मैं उसी को वरुणी, जिसको मेरी चाह नहीं। इसलिए वह क्षीर-सागर में विष्णु भगवान के पास गयीं, जहाँ भगवान सोये थे। विष्णु भगवान् को लक्ष्मी का भान तक नहीं। उनके अद्वैत को लक्ष्मी भंग नहीं कर सकती। लक्ष्मी की अभिलाषा से हम विष्णु की पूजा करें, यह अच्छा नहीं है। कुबेर के पास पहुँचकर बैगन की तरकारी माँगो तो मिलेगी जरूर, लेकिन और भी कीमती चीज वहाँ मिल सकती है। इसलिए मैंने उन मित्रों से कहा कि तुलसीदासजी की जो महिमा है, उसमें उनके साहित्य की महिमा तो है, लेकिन वह गौण है। सिर्फ साहित्य की दृष्टि से तुलना करना हो, तो तुलसीदासजी से बढ़कर साहित्यिक भी दुनिया में हम पा सकते हैं। नाम क्या लें? कई नाम सामने आ सकते हैं। और मुझे तो मौका मिला है, अनेक भाषाओं के अध्ययन का; तो मैं नहीं कह सकता कि तुलसीदास साहित्यिक के नाते उतने ऊँचे गिने जायेंगे, जितने कि एक लोक-हितकारी धर्म-पुरुष के नाते गिने जायेंगे। इस प्रकार मैंने अपने सब विचार उस समय जेल के मित्रों के सामने रखे। मैंने देखा कि वहाँ जो साहित्यिक थे, उनको यह बात जँची नहीं। थोड़ी चर्चा भी उन्होंने मेरे साथ की। वे मेरे लिए बहुत आदर रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना मतभेद जाहिर किया।

बचपन में मधुर कंठ से मेरी माता मुझे भजन सुनाती थीं। रोज नया भजन सुनाने का उनका रिवाज था। एक बार का गाया हुआ भजन मुझे फिर से छः छः माह तक सुनने को नहीं मिलता था। इतना नित-नूतन गीत वह सुनाती थीं मुझे। वह तो चली गयीं, और उसका कंठ कितना मधुर था, पर उसका कोई रिकार्ड नहीं रहा। लेकिन आज तक जिस किसी के जितने भी भजन मैंने सुने, मधुरता में उसके मुकाबले सब फीके लगे। उसका कारण यही था कि वह मेरी माँ थी, और मैं उसका बच्चा था। तब उसका कंठ मुझे सबसे मधुर लगे, तो आश्र्वय क्या? वैसे ही हिन्दी साहित्यिकों को तुलसीदासजी से बढ़कर कोई चीज मधुर न लगे तो आश्र्वय नहीं। और मैं भी कबूल करता हूँ कि एक साहित्यिक के नाते भी तुलसीदासजी कम नहीं थे। परन्तु मैं मानता हूँ वे बहुत श्रेष्ठ थे—एक धर्म-पुरुष और ज्ञानी भक्त के नाते।

परम आश्रय

श्री भारतन् कुमारपा जेल में मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे हिन्दी सीखने की इच्छा बतायी। उनकी मातृभाषा तो तमिल है, पर वे इंग्लिश के उत्तम ज्ञाता हैं। मैंने कहा, मैं हिन्दी क्या सिखाऊँ? मेरी भी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। यों कह कर मैंने तुलसी-रामायण उनके साथ पढ़ना शुरू किया। उसका महत्व समझाते हुए मैंने उनसे तब कहा था ‘तुलसीदासजी की रामायण यानी शेक्स्पीयर और बायबल, दोनों को मिलाकर समझ लो।’ तो तुलसीदासजी की साहित्यिक योग्यता मुझे मंजूर है, परन्तु उसके बावजूद मेरा कहना है कि करोड़ों को जो शांति उन्होंने दी है, वह देने की शक्ति शेक्स्पीयर में नहीं है। और वही तुलसीदासजी की महान् शक्ति है। साथ-साथ साहित्य की भी शक्ति उनमें आ गयी, कई दूसरे गुण उनकी वाणी में आ गये। इसका सार मैं यही निकालता हूँ कि जो

परमेश्वर का आश्रय करता है, उसके लिए सारी चीजें सहज-लब्ध हैं।

देखो मत, चखो

यह बात मैंने इसलिए निकाली कि लोगों ने तुलसीदासजी का उत्सव मनाना शुरू किया है। लेकिन उस उत्सव का अकसर ढंग यह होता है कि कोई निबंध लिखें, कोई कविताएँ पढ़ें, कहीं शायरों का दंगल हो, या रामायण के पात्रों के चरित्रों के चरित्र-चित्रण की चर्चा आप करें। यह तो एक मधुर आम का आकार देखना हुआ; गंध लेना हुआ, पर चखना नहीं हुआ!

मेरी शर्म

भाइयो! अधिक क्या कहूँ? बड़ा उपकार इस महापुरुष का हम सब पर है। मुझे एक बात का दुख है। मैं काशी में घाट देखने गया। एक दिन प्रह्लाद-घाट पर भी गया। गंगा-किनारे लोग शौच पर बैठे थे। एक दिन इधर अस्सी गया, जहाँ तुलसीदासजी का अंतिम समय बीता। दोनों जगह एक ही दृश्य देखा। बिलकुल प्रकाश में सन्यासी स्नान कर रहे हैं और बीस-पचीस कदम पर वैसे ही नंगे लोग शौच करने बैठे हैं! अबोध बालक नहीं, अधेड़ और बड़ी उम्र के लोग। मुझे बहुत शर्म लगी।
सब लोग झाड़ू हाथ में लें

हम सारे यहाँ मौजूद हैं। क्या तुलसीदासजी का उत्सव साहित्यिक चर्चा में समाप्त होगा? तुलसीदासजी के नाम से हमें यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि उनके स्मरण में यह सारा क्षेत्र हम पवित्र रखेंगे। काशी-नगरी को स्वच्छ बनायेंगे। विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, भक्तजनों को, नागरिकों को और विद्वानों को तथा म्युनिसिपालिटी के सदस्यों को झाड़ू हाथ में लेनी चाहिए और इस नगरी को आदर्श व स्वच्छ नगरी बना देनी चाहिए। घाट पर कोई जाय, तो वहाँ स्वच्छता और पवित्रता का दर्शन हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो लोग शौच के सर्वोदय जगत

लिए बैठते हैं, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम के बाद भी जो बैठेंगे, उनके लिए सेवक वहाँ पहुँचेंगे और उनका मैला उठाकर गड्ढे में खाद तैयार करेंगे। ऐसा हम करेंगे, तब मैं समझूँगा कि तुलसीदासजी ने जो धर्म हमें सिखाया, उसका भान हमें हुआ। 'शुचि-देश' बनाओ

अंतरबाह्य स्वच्छता धर्म का रूप है। गीता ने सिखाया है कि स्वाध्याय, ध्यान आदि करना हो तो शुचि-देश में वह करना चाहिए। भाष्यकार समझाते हैं, "स्वभावतः संस्कारतो वाः" सहज ही शुचि-देश-लब्ध नहीं, तो संस्कार से शुचि-देश बनावेंगे और फिर वहाँ आसीन होकर ध्यान करेंगे।

संतों की चरण-रज लेकर

मेरे भाइयो, मेरा कहना समझ लो। मैं

यहाँ चंद दिनों के वास्ते एक काम के सिलसिले में आया हूँ। मैं मानता हूँ कि वह काम सब संतों को प्रिय है और तुलसीदासजी को वह बहुत प्रिय है। और इसीलिए जब मैं बांदा जिले में गया, जहाँ तुलसीदासजी का स्थान है, तो मैंने वहाँ एक लाख एकड़ जमीन की माँग की। लोग घबड़ा गये। मैंने कहा : अपने नाम से मत माँगो, तुलसीदासजी के नाम से माँगो। तो इकतीस हजार एकड़ जमीन थोड़े ही दिनों में हो गयी। मैंने एक लाख पूरी करने को कहा है। तो इस तरह संतों की कृपा इस काम पर है। उनकी चरण-धूलि सिर पर लेकर मैंने अपना काम शुरू किया है। अगर मैं यहाँ का नागरिक होता, तो जो कार्यक्रम मैंने आपको सुझाया है—स्वच्छ नगरी बनाने का—वह खुद करता, उसी में लग जाता।

(‘सर्वोदय’, 15 अगस्त, 1952 से साभार) □

राष्ट्रीय सर्वोदय युवा शिविर

सर्व सेवा संघ (अ. भा. सर्वोदय मंडल) 11 से 15 नवंबर तक डिब्बूगढ़ (असम) में राष्ट्रीय सर्वोदय युवा शिविर आयोजित कर रहा है। 15 से 35 वर्ष के युवक-युवतियाँ शिविर में शामिल हो सकते हैं। शिविर में शामिल होने के इच्छुक निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

सर्व सेवा संघ, प्रधान कार्यालय,

महादेव भाई भवन, सेवाग्राम-442102,

जिला-वर्धा (महाराष्ट्र)

फोन : 07152-284061, 284091,

मोबाइल : 9428825908

ई-मेल : sarvasevasangha@hotmail.com

* * *

सम्पूर्ण क्रांति मिलन

सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन तथा व्यवस्था-परिवर्तन के आन्दोलनों में शामिल लोगों का एक मिलन 30-31 जुलाई, 2016 को सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी में आयोजित किया गया है। विस्तृत विवरण के लिए इस नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं—9415497204, 9431113667।

—शेख हुसैन,

महामंत्री, सर्व सेवा संघ

गांधीवाद के ठेकेदार

□ दादा धर्माधिकारी

गांधी और गांधीवादियों में भेद

सन् 1914 से 1918 तक के महासमर में गांधीजी ने अंग्रेजी सरकार की मदद की, यह बात गांधीवाद के अनुरूप हुई या नहीं? सन् 1934 में गांधीजी ने पार्लियामेंटरी कार्यक्रम का जो पुरस्कार किया, वह गांधी-नीति में स्वीकार्य है या नहीं? गांधीजी ने पागल कुत्तों को गोली मार देने को कहा और एक बछड़े को मृत्युदान दिया—यह अहिंसा है या हिंसा? इस प्रकार की अनेक बातों में गांधीवादियों का गांधीजी के साथ मतभेद हुआ है। किसी भी महत्त्व के मौके पर गांधी और गांधीवादियों की प्रतिक्रिया तथा भूमिका शायद ही एकरूप रही हैं। कई अवसरों पर गांधीवाद की दृष्टि से गांधीवादियों की गलती हुई ऐसा प्रामाणिक गांधीवादियों को लगा है। इसलिए अमुक व्यक्ति को गांधीमत के बारे में प्रमाण मानना गांधीजी के प्रति, और खुद उस व्यक्ति के प्रति भी अन्यायजनक है।

गांधी के नाम पर व्यापार न हो

सत्ता एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए किसी भी महान् व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करना तो संतप्तन के नीलाम की बोली बोलना ही है। इसी को ‘बाबा-बाजी’ कहते हैं। राजनीति में सत्ता का हथियाना आसान काम हो और लोगों में अपना महत्त्व बढ़े, इस हेतु से अगर कुछ लोग गांधीजी के नाम पर कोई पक्ष या संस्था खोल दें तो उन्होंने गांधीजी के नाम का व्यापार शुरू किया है, ऐसा ही समझना चाहिए। जो लोग गांधीजी के नाम पर बिकने की चेष्टा करेंगे, वे गांधीजी के नाम में बद्वा लगायेंगे; क्योंकि लोग उनपर से गांधीजी के बारे में अपने विचार कायम करेंगे। अपनी अल्पता पर से गांधीजी की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए लोगों

को बाध्य करना गांधीजी के साथ घोर अन्याय है। इसलिए गांधीजी के नाम पर किसी पक्ष की प्रस्थापना करके सत्तावादी राजनीति में भाग लेना अत्यन्त अनुचित एवं अनिष्ट होगा।

निन्दा-टीका में से खुद का बचाव

सेवाग्राम के उस सम्मेलन में विनोबाजी ने वह बात अचूक बता दी। गांधीजी की सीख की विशेषता है, ‘साधन-शुद्धि का आग्रह।’ बुरे मार्गों से अच्छे हेतु सफल नहीं हुआ करते, इस तत्त्व का प्रतिपादन उन्होंने सतत किया और निष्ठा के साथ उस पर अमल किया। उनका यह अनुभवसिद्ध वैज्ञानिक मत था कि सीधी लकीर ही सबसे कम अंतर बताती है, सरल मार्ग ही सबसे नजदीक का रास्ता है। व्यवहार चतुर लोगों ने कहा, ‘सीधी अँगुली से धी नहीं निकलता।’ व्यापारी बोले, ‘यह दुनिया भले आदमियों की नहीं है।’ कूट-नीतिशों ने कहा, ‘काँटे से ही काँटा निकल सकता है।’ संसारी तत्त्वज्ञ बोले, ‘यह जगत् साधुओं के लिए नहीं है।’ गांधीजी ने सबकी बातें सुन लीं और कहा, ‘ये सब कथन दुनिया के बारे में शिकायत करनेवाले हैं। इसका मतलब यही है कि दुनिया में त्रुटियाँ न होतीं तो आपको वह अधिक पसंद आती।’ शिकायत करनेवालों के मन में यह सुप्त भावना छिपी हुई रहती है कि ‘उन बुरे लोगों में मैं नहीं हूँ।’ उनके कहने का मतलब यह होता है कि ‘मैं तो सीधा-सादा हूँ, लेकिन इस टेढ़ी दुनिया में मुझे भी मजबूरन टेढ़ा बनना पड़ता है। मैं तो भला हूँ, लेकिन इस बुरी दुनिया में मुझे भी बुरा बनना पड़ता है। मैं किसी को चुभना नहीं चाहता, लेकिन इस चुभनेवाली दुनिया में मुझे कँटीला आवरण ओढ़ना पड़ता है। दुनिया तो बदमाशों से भरी हुई है। इसलिए मुझे साधुत्व नहीं पुसाता।’ दुनिया की इस निन्दा

में यह प्रच्छन्न असंतोष है कि वह सत्प्रवृत्त एवं सद्गुणसम्पन्न नहीं है; परंतु वैसा उसे होना चाहिए, यह गर्भित इच्छा भी है।

गांधी और गांधीवादियों में मूलभूत फर्क

दुनिया का हर आदमी यही कहता है कि यह संसार इसी तरह दुःसाध्य एवं दुराध्य है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत दूसरे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ है। या यों कहें कि हर एक की शिकायत दूसरे सब लोगों के खिलाफ है। इसका मतलब यह होगा कि मनुष्य व्यक्तिशः सत्प्रवृत्त एवं सदाकांक्षी है, लेकिन यह समूहशः असत्-प्रवृत्त एवं असदाकांक्षी है! लेकिन यह भी सही नहीं है। सवाल सिर्फ दृष्टि में परिवर्तन करने का है। ‘दुनिया बुरी है, इसलिए मुझे बुरा बनना पड़ता है, ऐसी शिकायत आज हर कोई करता है, उसके बजाय अगर प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प करे कि ‘दुनिया चाहे जैसी चले, लेकिन मैं तो नेकी से और प्रेम से चलूँगा’, तो दुनिया का कायाकल्प होगा। इसी को बापू हृदयपरिवर्तन का तत्त्व कहते थे। गांधीवादी कहता है, ‘मैं तराश-खराश कर दूसरों के स्वभाव को पूरा मुलायम बना दूँगा।’ बापू कहते थे, ‘मैं पहले अपने स्वभाव के दोषों को दूर करूँगा।’

ट्रॉट्स्की ने कहा था कि जब चारों तरफ पूँजीवाद का साप्राज्य फैला हुआ हो, तब अकेले रूस में समाजवादी राज की स्थापना सम्भव नहीं है। स्टैलिन कहता है कि समाजवादी राज का प्रारम्भ तो किसी भी एक देश में हो सकता है। वह प्रारम्भ रूस ही करे। ‘जब कि सभी लोग खुलेआम अशुद्ध साधनों का प्रयोग करते हैं, तो केवल हमारे ही साधनशुद्धि के आग्रह से कैसे चलेगा?’ इस आक्षेप के उत्तर में गांधीजी कहते थे कि

साधनशुद्धि का प्रारम्भ कोई भी कर सकता है—‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।’ ‘साधन कैसा भी हो, हेतु शुद्ध रहे तो काफी है,’ इससे अधिक भयावह तथा अवनतिकारक तत्त्वज्ञान दूसरा कोई नहीं है। इस तत्त्वज्ञान से दुनिया में अनवस्था ही केवल नहीं, बल्कि आसुरी वृद्धि का भी सम्भाज्य फैल जायेगा।

केवल तर्क नहीं, निष्ठा की नमी चाहिए

इसका अनुभव हमें अनेक बार आया है। हमने देखा है कि सार्वजनिक सभा में जो कोई ‘अहिंसा’ के खिलाफ बोला, कि पीटा गया है। गांधीजी के आलोचकों और विपक्षियों को बकायदा, पीटा गया है और उस समय महात्मा गांधी की जय भी बोली गयी है। और यह सब अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए किया गया है! जिन लोगों ने यह किया, वे ईमानदारी से कबूल करते हैं कि ‘हम कोई अहिंसा के अनुयायी नहीं हैं, हम तो अहिंसा के रक्षक हैं। और हमारा यह अनुभव है कि शस्त्रों या दण्ड के बिना संरक्षण हो नहीं सकता। अतः हम हिंसा के द्वारा अहिंसा की रक्षा करके हिंसा को अहिंसा की चेरी बना रहे हैं।’ इसी तरह हम गांधीजी के अनुयायी नहीं, बल्कि उनके भक्त एवं अभिमानी हैं। गांधीजी के निन्दक एवं विपक्षी हमारे शत्रु हैं। उनका दमन करने के लिए हम अपने तरीकों पर अमल करेंगे। हम अपनी गांधी-निष्ठा को अपने ढंग से प्रकट करेंगे। इसीलिए तो गांधीजी के कुटुम्बियों और हमेशा उनके साथ रहनेवाले उनके सेक्रेटरी तथा अन्य साथियों ने गांधीजी की हत्या के बाद दुःख के कारण आपे से बाहर होकर न तो मारपीट की और न ही घरों में आग लगायी। लेकिन गांधीजी के अभिमानियों ने जरूर क्रोध तथा शोक के आवेश में ये सब बातें कर डालीं। ऐसा बिलकुल नहीं है कि देवदास गांधी, विनोबा, नरहरिभाई, जवाहरलालजी आदि की बनिस्त इन लोगों की गांधी-निष्ठा अधिक गहरी थी। लेकिन गांधीजी के प्रति उनका

पाठक का पत्र

देश की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में आया है, संघवाद हाँवी हो रहा है। शायद और साम्राज्यिक दंगे कराने की प्रतीक्षा में है, ऐसा आभास होता है।

कोई हिन्दू राष्ट्र की, कोई भगवाकरण की, कोई भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा कहने की तो कोई गांधी-नेहरू की मूर्तियों को उखाड़ फेंकने की बात करने लगे हैं। यह चिन्ता का विषय है। —मटंग

जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अभिमान अधिक प्रखर एवं उग्र था। उनका गांधीजी पर प्रेम था, परंतु उन्होंने गांधीजी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उन्होंने अपने ढंग से गांधी-विरोधकों से बदला लिया। गांधीजी अहिंसक होंगे, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनका लड़का भी अहिंसक ही होगा! इसलिए अपने पिता का अपमान या तौहीन करनेवाले को हिंसा के द्वारा सजा देने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती। गांधीजी अहिंसक थे, लेकिन उतनी मात्रा में सरकार तो अहिंसक नहीं है। इसलिए गांधीजी की रक्षा के लिए सरकार ने सशस्त्र सिपाही तैनात किये और गांधीजी के हत्यारे को वह फाँसी की सजा भी देगी। इसी न्याय से गांधीजी के प्रति प्रेम तथा अभिमान के कारण गजब-नाग बने उनके अभिमानियों ने अपना क्रोध एवं उद्वेग प्रकट किया। हो सकता है कि इसमें गांधीजी के तत्त्वज्ञान की तौहीन हो। लेकिन यह भी सही है कि उसमें गांधीजी के प्रति प्रेम और अभिमान की हद हो गयी है। हो सकता है कि गांधीजी के अभिमानियों का यह बर्ताव अनुशासनहीन हो, अनुचित हो, लेकिन वह है तो बिलकुल युक्तिसंगत, तर्कशुद्ध! इसीलिए तो बेचारे बापू कहते थे कि मुझे शुद्ध व शुष्क तर्क नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले निष्ठा और सभ्यता की नमी चाहिए।

(‘सर्वोदय’, 15 अगस्त, 1952 से साभार) □

जयप्रकाश अस्पताल बचाओ

यह पराजय की कहानी है। एक वर्ष के संघर्ष के बाद राज्य सरकार के छल और छज्ज के आगे खासतौर पर पटना के साथ में गया के गाँवों से पटना आकर लड़ रहे लोगों के साथ अन्य कुछ मानस सहयोगी, जयप्रभा अस्पताल को प्राइवेट संस्थान मेदान्ता के हाथों समर्पित करने से नहीं बचा सके। हालाँकि जनता की भावना को बनते देख सरकार ने विधान परिषद और विधान सभा में विपक्ष ने गैर सरकारी संकल्प पेश किया, जो जयप्रभा अस्पताल बनाने का संकल्प के लिए हुए, आया। यहाँ सरकार ने भी एक कदम पीछे लेकर स्वीकार किया कि अस्पताल का नाम जयप्रभा मेदान्ता रखा जायेगा। जयप्रभा मेदान्ता का विकल्प अस्वीकार करते हुए जयप्रभा अस्पताल बचाओ समिति (नागरिक बैनर) के विरोध की अवहेलना कर नितीश कुमार द्वारा मेदान्ता समूह के कार्यारम्भ समारोह का उद्घाटन कर दिया गया। इस समय अपनी असहमति दर्ज करने और सवाल पूछनेवाले मित्रों और प्रेस के खिलाफ नितीशजी ने अशोभन बर्ताव किया। इस से द टीलीग्राम अखबार ने यहाँ तक लिखा कि ‘ऐसा कर क्या नितीश कुमार कुछ पहले नरेन्द्र मोदी सरकार को दिये गये अपनी उलाहना; कि असहमति ही जनतंत्र का प्राण है, के प्रति ग्लानि बोध रख रहे हैं। नितीश ने प्रेस को कहा था कि इस तरह के (मेदान्ता के उद्घाटन) जैसे कार्यक्रमों की महता नहीं समझ कर विरोध करनेवालों से मतलब रखनेवाले पत्रकार, बेहतर हो ऐसे कार्यक्रमों में न आया करें।

—प्रियदर्शी

'जिस चीज को गलत समझता हूँ, उसे कैसे करूँ?'

□ सुजाता

5 मई, 1939 को जब गांधी सेवा संघ की बैठक में महात्मा गांधी से यह पूछा गया कि "कुछ लोगों का ख्याल है कि पंतजी का प्रस्ताव आपको पसंद नहीं था। जब आपने पहले-पहल उस प्रस्ताव के विषय में सुना तो आपके दिल पर क्या असर हुआ? आपने सुभाष बाबू को ऐसा क्यों लिखा कि 'पंत के प्रस्ताव के विषय में ज्यों-ज्यों सोचता हूँ, त्यों-त्यों उसे अधिक नापसंद करता हूँ? कृपया इसे समझाइए।"

महात्मा गांधी ने उत्तर देते हुए कहा, "पहली बात तो यह है कि आप यह जानते हैं कि उस वक्त मैं तो बिछौने पर पढ़ा था। मेरे काम करने का तरीका ऐसा नहीं कि जिस चीज में मैं नहीं हूँ उसमें मैं पड़ूँ। इसलिए त्रिपुरी में क्या हो रहा है, इसके विषय में मैं बिलकुल उदासीन था। यहाँ तक कि मैं उन दिनों अखबार भी नहीं पढ़ता था। मेरे मन में तो राजकोट ही राजकोट भरा था। किसी ने मुझसे कहा कि पंतजी का ऐसा काई प्रस्ताव त्रिपुरी में आनेवाला है। उस वक्त मुझे इतना ही ख्याल हुआ कि पुरानी कार्यसमिति में विश्वास प्रकट करनेवाला प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विश्वास प्रकट करने की बात तो ठीक है। लेकिन मैं होता तो और कुछ करता। मैंने तो वर्धा में ही कहा था कि अगर हिम्मत है तो सुभाष बाबू के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाओ। यह सीधा तरीका है। अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि यह समझते थे कि सुभाष बाबू को चुनने में उन्होंने गलती की, तो उनके लिए यही सभ्यता का रास्ता था। लेकिन उस वक्त ऐसी आबोहवा शायद नहीं थी। मेरा तो यह ख्याल हो गया कि सुभाष बाबू अपनी कार्यसमिति बना लेंगे। लेकिन वह नहीं बनी।

तब पंत का प्रस्ताव त्रिपुरी में आया। मैंने इतना ही सुना कि जो लोग निकल गये हैं, उनके लिए उसमें विश्वास प्रकट किया गया है। मैंने कहा, इतना ही है, तो ठीक है। लेकिन वह मेरी चीज तो नहीं थी, बाद में मैंने यह प्रस्ताव देखा। फिर सुभाष बाबू के साथ पत्र-व्यवहार चला। अन्नदा बाबू ने जिस खत का जिक्र किया है वह आपके सामने नहीं है। जब मैंने पंत का प्रस्ताव पढ़ा तो देखा कि उसमें तो कहा गया है कि मुझे सुभाष बाबू को रास्ता दिखाना है। जब वह चीज मेरे पास आ गयी तो मुझे बहुत नापसन्द लगी। यहाँ तक नापसन्द लगी कि मैंने वैसा करने से इनकार किया। और उसी इनकार पर आखिरी दम तक कायम रहा। हो सकता है कि इसके कारण कुछ गलतफहमी पैदा हो जाये। तो उसे भी मुझे सहना है। जिस चीज को मैं गलत समझता हूँ उसे मैं कैसे करूँ? मैंने उनसे कहा कि आप अपने मन की कमिटी बना लें और अपना कार्यक्रम बनाकर काम शुरू कर दें। मेरी चले तो मैं आबोहवा साफ कर दूँगा। नहीं तो काम चलता रहेगा और धीरे-धीरे साफ आबोहवा पहुँच जाएगी। इसीलिए कलकत्ते में जब मुझसे कहा गया कि मैं कमिटी के नाम सुझाऊँ, तो मुझे यह बात कुछ विपरीत लगी। मेरे लिए सभी समान थे, जिस कारण मुझे ऐसा करना गलत मालूम हुआ। आगे पत्र-व्यवहार से मेरी यह राय और भी पक्की हुई। पीछे वैमनस्य की बात भी मेरे पास आ गयी। ऐसी स्थिति में नाम कैसे दे सकता था? वह तो सुभाष बाबू पर जबरदस्ती होती। मैं सुभाष बाबू पर जबरदस्ती करूँ, तो क्या राष्ट्र का जहाज चल सकता है? यह तो जहाज डुबाने की बात है।

मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप पुरानी कार्यसमिति के लोगों को चाहते हैं, तो आपस में मशविरा कर लें। आपको वे लोग चाहें तो दोनों साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मुझसे यह काम नहीं होगा कि मैं सुभाष बाबू पर कुछ नाम लाद दूँ। जितना मैं उस प्रस्ताव पर सोचूँ, वह मुझे नापसंद आता है। उसके अनुसार मैं राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। कोई कितना भी कहे, मैं तो यही कहूँगा कि मैं कार्यसमिति के नाम नहीं दे सकता। मैं जो कुछ पसंद करूँ वह सुभाष बाबू पर बलप्रयोग होगा; और बलप्रयोग तो हिंसा है। वह मैं कैसे करूँ? पंत के प्रस्ताव का मेरे दिल पर क्या असर हुआ, वह मैंने बतला दिया। अगर लोग समझते हैं कि मैंने देश की काफी सेवा की है, तो भी किसी पर बलप्रयोग करने का अधिकार मुझे थोड़े ही मिल गया है।"

दूसरा प्रश्न था, "जब सुभाष बाबू आपके दिये हुए किसी भी नाम को मंजूर करने के लिए तैयार थे, तो नाम देने में आपको क्या आपत्ति थी?"

महात्मा गांधी ने उत्तर देते हुए कहा, "इस सवाल का यह मतलब है कि 'त्रिपुरी' ने पंत-प्रस्ताव से तुम्हें एक हुक्म दिया और सुभाष बाबू को भी दिया। सुभाष बाबू तो वह हुक्म मानने के लिए तैयार थे लेकिन तुमने उसका विराध क्यों किया? हुक्म के अनुसार कार्यसमिति के नाम देने में कौन-सा बलप्रयोग था?' यह तर्क देखने में बड़ा मोहक है। लेकिन गलत है। कल कोई आदमी मुझसे कहे कि तुमको हुक्म हुआ कि मुझे गालियाँ दे दो और बेंत मारो तो क्या मैं उसे मनमानी गालियाँ दे दूँ और तड़ातड़ बेंत मार दूँ? जब

सुभाष बाबू के और मेरे बीच इतना फासला था, तो इस अधिकार के जोर पर उनपर कोई नाम लाद देना क्या सभ्यता का काम होता? अधिकार मिलने का मतलब यह थोड़े ही है कि मुझे अपनी विवेक बुद्धि के खिलाफ उसपर अमल करना ही चाहिए। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं पसंद नहीं करूँगा। मान लीजिए कि कल मुझे सबको गाली देने का अधिकार मिल गया। लेकिन क्या उस पर अमल करना धर्म पर निर्भर है? धर्म-पालन मेरा कर्तव्य है। मैं केवल अपने व्यक्तिगत महत्व को नहीं देखता। मेरे नजदीक उसकी कोई कीमत नहीं। मैं राष्ट्र की दृष्टि से विचार करता हूँ। मुझे मेरा जो कर्तव्य लगता है वह मैं करता हूँ।”

“सुभाष बाबू से आपका जो पत्र-व्यवहार हुआ, क्या वह प्रकाशित नहीं हो सकता? अगर नहीं, तो कृपया बतलाइए कि क्यों?”

“पहले तो उस पत्र-व्यवहार को प्रकट करना तय हो गया था। बाद में जवाहरलाल जी आ गये। यह तय हुआ कि उसे रोक लें। यह भी तय हुआ कि मैं भी कोई वक्तव्य नहीं निकालूँ। वह मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने इसमें यही नीति अखिलयार की है कि सुभाष बाबू को जो सुभीते का हो वही वे करें। अगर हम अहिंसक हैं, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। किसी पत्र-व्यवहार को प्रकट करना हमारा काम नहीं है। हम जब तक रोक सकते हैं, रोकें। जब कोई आदमी जो उस खत में लिखता है उसके विपरीत काम करे, तभी उसे प्रकट करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं आती। इसलिए यह मैंने सुभाष बाबू पर छोड़ दिया है। पत्र-व्यवहार प्रकट न होने से अगर कोई गलतफहमी होती है, तो कोई खास नुकसान नहीं है। सामनेवाला आदमी जब जरूरी समझेगा, तब प्रकट कर देगा। अगर वह सब पुराना इतिहास बन गया, तो छोड़ दिया जायेगा।”

सर्वोदय जगत

महात्मा गांधी और सुभाषचन्द्र के बीच मतभेद की बातें उठ रही थीं, इसी से गांधी सेवा संघ में 5 मई को उनसे इस विषय पर प्रश्न पूछा गया कि “आपने सुभाषचन्द्र बोस को पत्र में लिखा है कि आपके और उनके बीच बुनियादी मतभेद है; वह मतभेद कौन-सा है?”

महात्मा गांधी ने इसके उत्तर में कहा, “जलपाईगुड़ी में बंगाल के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सुभाषचन्द्र बोस ने एक प्रस्ताव पेश किया कि ब्रिटिश सरकार को छः महीने की नोटिस दी जाए और सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जाए। वैसी आज भी उनकी राय है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसमें मैंने देखा कि मैं कहीं शामिल नहीं हो सकता। उसमें सरकार को अनित्म सूचना (अल्टीमेटम) देने की बात है। वे मानते हैं कि हमारे पास लड़ाई का सामान मौजूद है। मैं बिलकुल उलटा मानता हूँ। आज हमारे पास लड़ाई करने का कोई सामान है ही नहीं। आज सारा वायुमण्डल हिंसा से इतना भरा हुआ है कि मैं लड़ाई कर ही नहीं सकता। उड़ीसा में रानपुर और कर्नाटक में रामदुर्ग का मामला कैसे बना? कानपुर में पंतजी स्वयं काबू नहीं रख सके। लखनऊ के शिया और सुन्नी मुसलमानों पर हमारा कोई काबू नहीं। जातीय झगड़ों का तो कोई ठिकाना नहीं रह गया है। मुट्ठी भर कांग्रेसवालों पर काबू रहने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा तो हमेशा यह दावा रहा है कि सारे मुल्क पर हमारा काबू है। लेकिन आज मुट्ठी भर लोगों पर हमारा काबू रह गया है। मजदूर और किसान तो कांग्रेसवाले ही माने जाते थे। किसानों पर बिहार में हमारा पहले जो काबू था, वह आज नहीं रहा। क्या यह लड़ाई के लिए अनुकूल स्थिति है? क्या कांग्रेस के काम में और अहिंसावादियों के काम में फर्क है? आज मुझसे कोई कहे कि तुम ‘दाँड़ी कूच’ करो तो मुझमें हिम्मत नहीं है। मजदूर और किसानों को छोड़कर हम कैसे काम कर सकते हैं?

उन्हीं का तो मुल्क है। सरकार को अंतिम सूचना देने का सामान मेरे पास नहीं है। ऐसी सूचना से देश की हँसी ही होगी। लेकिन सुभाष बाबू समझते हैं कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। यह मतभेद बहुत बड़ा और बुनियादी है। लड़ाई के सामान की उनकी कल्पना और मेरी कल्पना में भेद है। सत्याग्रह की मेरी जो कल्पना है, वह उनकी नहीं है। क्या यह मतभेद बुनियादी नहीं है? मैं ये सब बातें आज ही अखबारों में नहीं दे सकता। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। मौका आने पर लिखूँगा। यह तो बुनियादी मतभेद की बात है। हमारे खतों में भी यह बात आयी है। एक मोटी-सी चीज आपके सामने रख दी है। इससे व्यक्तिगत मतभेद का कोई सम्बन्ध नहीं है।

“इसी तरह कांग्रेस की अशुद्धि की बात है। उसमें मेरा और उनका मात्रा (डिग्री) का भेद है, अशुद्धि है, यह तो वे भी कबूल करते हैं। पर वे मानते हैं कि वह इतनी नहीं कि जिससे डरने की जरूरत हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक यह अशुद्धि रहेगी, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। मेरे नजदीक सविनय आज्ञा भंग और अधिकार स्वीकार में भेद नहीं है। दोनों सत्याग्रही लड़ाई के ही अंग हैं। इस तरह मेरा और उनका दृष्टिकोण और अवलोकन अलग-अलग है। सत्याग्रह का मेरा जो अर्थ है वह उनका नहीं है। मैं तो यहाँ तक अधीर हो गया हूँ कि अशुद्धि दूर करने के लिए कांग्रेस को ही दफन कर देना पड़े, तो कर देना चाहिए। एक हिंसावादी संस्था जिन बातों को दरगुजर कर सकती है, उन्हें अहिंसावादी संस्था नहीं कर सकती। हिंसक युद्ध का दृष्टान्त यहाँ पर लागू नहीं पड़ता। अब आप समझ गये होंगे कि बुनियादी मतभेद से मेरा क्या मतलब है।” महात्मा गांधी ने अपनी बात मुस्कुराते हुए समाप्त की। (‘गांधी और सुभाष’ पुस्तक से)

प्रस्तुति : ब्रदीनाथ सहाय

16-31 जुलाई, 2016

हिन्दी की कहावतें समाज को चेतना दे रहीं

□ बद्री नारायण तिवारी

संसार की किसी भी भाषा में लोक हितकारी इतनी कहावतें—लोकोक्तियाँ नहीं हैं जितनी हिन्दी में हैं। दिनचर्या में स्वास्थ्य रक्षा हो या मौसम के विषय—अथवा सामाजिक जीवन से सम्बद्ध हो उनका उपयोग साक्षर तथा निरक्षर दोनों समान रूप से करते हैं। वस्तुतः अर्थ परिवर्तन का इतिहास पुरानी भाषाओं के अध्ययन से ही जाना जा सकता है, जो लोक-साहित्य द्वारा ही सम्भव है। लोक-साहित्य के शलाका पुरुष पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने इसकी विवेचना का यथार्थ चित्रण करते हुए लिखा है—“आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता गाँववाले हैं और उनका साहित्य इस भाषा को पढ़ने के लिए टकसाल का काम दे रहा है। संस्कृत के शब्द किस प्रकार साधारण जन के लिए उपयोग सुलभ हुए हैं, ये सब इसी टकसाल के ही परिणाम हैं।” हिन्दी में जनकवि घाघ की कहावतें सभी जगह प्रचलित हैं जैसे प्रातःकाल सोकर उठते ही पानी पीना चाहिए। वह सदैव निरोगी रहेगा उसके घर कभी डॉक्टर या वैद्य नहीं आते हैं—

प्रातःकाल खटिया ते उठिके पिये तुरन्ते
पानी, ता घर वैद्य न आवे या बात सोच जब
जानी।

इसी प्रकार भोजन के पश्चात् पेशाब करके जो बायें करवट सोते हैं वे अपने गाँव में कभी चिकित्सक नहीं बसाते हैं—खोई के मुते सुते बाँऊ, काहे वैध बसावे गाँऊ।

निरोगी रहने हेतु एक बार शौच योगी पुरुष जाता है, दो बार भोगी पुरुष जाता है और तीन बार शौच जाता है उसे बीमार श्रेणी में माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दो बार शौच जाना चाहिए—प्रातःकाल तथा संध्याकाल ताकि स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव न

पढ़े—एक बार योगी/दो बार भोगी/तीन बार रोगी।

वर्तमान वैज्ञानिक युग में बारहमासी सब्जी तथा फलों के पैदा करने के नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। किन्तु निरोगी होने के लिए कहावतों में स्पष्ट परहेज करना यानी स्वस्थ होना बताया गया है—चैते गुड़ बैशाखे तेलु, जेठ पंथ अषाढ़ बेलु। सावन सतुवा, भाद्र दही, कुंआर करेला कार्तिक मही। अगहन जीरा, पूसो धना, माघे मिसरी फागुन चना। ई बारह जो देय बचाय, वेहि घर वैद्य कभी न जाय।

अर्थात् चैत्र में गुड़ और वैशाख में तेल का उपयोग वर्जित है। ज्योष्ट मास में गरमी की अधिकता के कारण यात्रा से बचना चाहिए, आषाढ़ में बेल, सावन में सत्तु, भाद्रों में दही, कुंवार में करेला, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पौष में धनियाँ, माघ में मिसरी और फागुन में चना नहीं खाना चाहिए।

उपयुक्त कुछ चीजें जो बताये गये महीने में अधिक मात्रा में होने के कारण लोग ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए उनसे बचने की राय दी गयी है क्योंकि ऋतुओं के सरद या गरम होने के कारण ये वस्तुएँ स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती हैं।

इसी प्रकार भोजन को पचाने में कुछ तत्त्व और पदार्थ सहायक होते हैं—नित भोजन के अंत में तोल भर गुड़ खाय, अपच मिटे, भोजन पचे, कब्जियत मिट जाये।

इसी प्रकार भोजन से पूर्व की भी कुछ वस्तुओं के प्रयोग की विधियाँ बतायी गयी हैं जो भोजन के अनुकूल बनाने में अति सहायक होती हैं—नींबू आधा काटिये सेंधा नमक मिलाय, भोजन प्रथमहि चूसिये सो अजीर्ण मिट जाये।

कुछ वस्तुओं को नियमित प्रयोग करने से व्यक्ति को स्वस्थ रहने की सलाह इन लोकोक्तियों में दी गयी है—जो नित आँवला खात है प्रात पियत है पानी, कबहूँ न मिलिहें वैद्यराज से कबहूँ न जाई जवानी, जो भोरहिं माठा पियत है जीरा नमक मिलाय, बुद्धि तीसे बढ़त है सबै रोग जरि जायँ। और जो रोज पपीता खाय ता घर वैद्य न आय। कुछ शिक्षाप्रद कहावतें भी हैं जिनपर मनुष्य निरोगी रह सकता है। संसार के दंत रोग विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि सभी रोगों का मूल है दाँतों की सुरक्षा तथा रोग दूर करने हेतु डैटिस्ट विद्यालय अधिक मात्रा में स्थापित हो रहे हैं। अत्यधिक गरम पेय पदार्थ या भोजन करने सम्बन्धी चेतावनी में कहा गया है—अधिक गरम जो पय पिये अथवा भोजन खाए, वृद्धावस्था के प्रथम बत्तीसी झड़ जाए।

इसी प्रकार बचपन से ही यह कहावत कंठस्थ करा दी जाती थी—आँख में अंजन, दाँत में मंजन नित कर नित कर, नाक में अँगुली, कान में तिनका मत कर, मत कर। ऐसी ही अनेक कहावतें और भी हैं—सोंठ, सुहागा, सेंधा, गंधी, सहिजन रस में बढ़िया बंधी, सत्तर शूल बहतर वाय, कहै धनवंतरि खाते जाय।

इसी प्रकार पेट दर्द, गैसादि तथा शरीर में दर्द से उत्पन्न कष्टों को यह दूर कर देता है। कभी-कभी पेशाब रुकने पर निम्न औषध लेपन से लाभ हेतु लोकोक्ति का अवलोकन करें—वारासिंघा श्रृंग को शीतल जल घिस लेई, नाभि मध्य लेपन करें तो मूत्र प्रवाह करेई। और तोला गुड़ प्राचीन लें, चूना मासा चार, दोऊ मिलाए के खाइये, पेट दर्द दे तुरत निकार।

सिरदर्द दूर करने हेतु—धी कपूर को

सर्वोदय जगत

लीजिए, एक ही साथ मिलाय, सिर माथे में रगड़िए, दर्द तुरत भग जाय।

कान के दर्द हेतु—पीले पात मदार के घृत में देय लगाय, गरम-गरम रस डालिये, कर्ण दर्द मिट जाय।

इसके अतिरिक्त सैकड़ों कहावतें जन सामान्य में ऐसी प्रचलित हैं। जैसे कोई वेद वाक्य के रूप में मान्य हों—शरीर स्वस्थ रहने पर ही सभी कार्य सम्भव होंगे—‘काया राखे धरम है’ ऋतु परिवर्तन पर ‘जब जेठ चलै पुरवाई-सावन धूर उड़ाई’, विपत्ति में परिहास करनेवालों से रहीम की यह सीख कितनी शिक्षाप्रद है—‘रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनि इठिलैं हैं लोग सब, बाँटि न लैहें कोय।।

इसी प्रकार हिन्दी लोकोक्तियों का अपार भण्डार है जिनमें चुटकलों, चौपाइयों में अनेक लोकोक्तियाँ प्रेरक तथा ट्रकों तथा वाहनों के पीछे तरह-तरह की उक्तियाँ जनसामान्य कहावतों में भी प्रयोग होने लगीं। मनोरंजन के साथ प्रेरणादायक भी होती हैं जैसे—संभल कर चल प्यारे, जिन्दगी अनमोल है। इस पर भी कोई ना समझ उसकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसे समझाने को लिखा है—मेरे चलने में धमधम, तुझे धोखा, मुझे गम।

बहुत सावधानी के बाद भी गाड़ियों से प्रायः दुघटनाएँ मार्ग में हो ही जाती हैं, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं के लिए वह स्वयं को नहीं बल्कि दार्शनिक अंदाज में किस्मत और खुदा को दोष देते हुआ कहता है—मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उसे जनसामान्य में कहा जाता है—हुइहै वही जो राम रचि राखा।

मार्ग में वाहन चालकों को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसी मजबूरी में अपने ईश्वर को किस प्रकार वाहनों के पीछे खतरों का सामना करना पड़ता है। उसी मजबूरी में ईश्वर को किस प्रकार वाहनों के पीछे लिखी पंक्तियों में याद करते हैं—

भगवान इक तेरा सहारा या जय माता की अथवा नानक नाम जहाज है, वाहे गुरु की कृपा।

उसी प्रकार संसार में ईर्ष्या करनेवालों की भी कमी नहीं है इसके लिए इन संकेत वाक्यों से स्पष्ट हो जायेगा—हम चलते हैं-तो तुम क्यों जलते हो? एक लोकप्रिय वाक्य है—ओय, जलने वाले, तेरा मुँह काला।

इस पर व्यंगकार सुरेन्द्र शर्मा की टिप्पणी है कि कालों के देश दक्षिण अफ्रीका में यह क्या लिखते हैं—जलने वाले तेरा मुँह सफेद।

अनेक वाहनों में पीछे सूत्र वाक्य बड़े दार्शनिक अंदाज में लिखे रहते हैं—बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जियें, और बड़े होकर तेरा खून पियें। अपनी यायावरी यात्रा पर संकेत वाक्य में क्षणिक जीवन का सार लिखते हैं—हम मुसाफिर यारों, गाड़ी है वतन मेरा। टायर में होंगे दफन, ट्यूबें बनेंगी कफन अपना। इसी क्रम में दार्शनिक अंदाज में मन बहलाने हेतु लिखते हैं—रहेगा गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे। रहेगी जिन्दगी तो फिर मिलते रहेंगे।

उसी यायावरी जीवन-यात्रा के चलते सफर में कौमी अंदाज में एक लोकोक्ति में प्रयोग होने लगी—खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।

संसार के किसी भी देश की भाषा में इतनी कहावतें जन सामान्य में नहीं प्रयोग होती हैं जितनी भारत में शिक्षित/अशिक्षित दोनों में समानरूप से प्रयोग में आती हैं। इसकी लोकप्रियता की एक घटना याद आ गयी जब कानपुर प्रवास में ओसाका विश्व विद्यालय, जापान के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. कोएत्से कोगा से चलते समय एक लेख भेजने का निवेदन किया।

जापान से हिन्दी में हस्तलिखित पत्र के साथ “मानस में लोकोक्तियाँ” लेख भी भेजा। वह मैंने उनकी हस्तलिपि में ही “मानस संगम” पत्रिका में प्रकाशित कराने पर अति

चर्चित भी हुआ। विश्वकवि तुलसी का कालजयी ग्रंथ “रामचरितमानस” की चौपाइयाँ शिक्षित-अशिक्षित लोगों में ‘का बरसा जब कृषि सुखानी’ ‘स्वारथ लाग करै सब प्रीती’, ‘कोऊ नृप होय हमहिं का हानी’, ‘सियाराम मय सब जग जानी’ को विश्व बंधुत्व के रूप में प्रयोग होने लगा, ‘जस जस सुरसा बदन बढ़ावा...’ तथा ‘भय बिनु होय न प्रीति’, ‘प्रातकाल उठिकै रघुनाथा, गुरु पितु मातु नमावहि माथा’, ‘हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ’, ‘जो कुछ लिखा लिलार में मेट सकै नहिं कोय, ‘बाँझ की प्रसव कै पीरा, मानहु, लोन जरे पर देई, इसी प्रकार सूरदास के ‘सूर सागर’ की पंक्तियाँ लोकोक्तियों में प्रयोग होती हैं—‘जीवन रूप दिवस दस ही की’, ‘कहा कहत मासी के आगे, जानत नानी नाचन’, ‘होत कहाँ अबके पछाए, बहुत बेर बिर्तई’। कबीर की अनेक पंक्तियाँ जन-जन में कहावतों की भाँति दिनचर्या में प्रयोग होती हैं—ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय’, ‘लोभी गुरु लालची चेला’ के अलावा असंख्य कहावतों में ‘बैरिन हुइ गई सौत कटारी’, ‘घायल की गति घायल जानै’, ‘ऐसी छाती बजर गात की कहाँ से ये लाई’, ‘सो गत भई हमारी’, ‘हम जानी हमहिं पर बीती’, ‘तैं का बाबुल मेरो ठाड़ौ हेरै’, ‘आधी रात कुइलिया बोलै कूक सही न जाय।’ आदि असंख्य रचनाएँ जन-जन में प्रयोग होने लगीं। अब्दुल रहीम खानखाना की रचनाएँ नीति रूप में कहावतें बन गयीं जैसे कनउजी में ‘एक कुठरिया दुइ दरवाजे। निकत्त ठाकुर दइ मारे।।’ ‘भटा जैसी आँखें’ लोकोक्तियों पर अनेक विश्व विद्यालयों में शोध कार्य हो चुके और अब भी अनवरत हो रहे हैं। एक गूढ़ से गूढ़ बात को लोकोक्ति की एक पंक्ति में कहने मात्र से सामान्य जन पूर्ण रूपेण उसे समझ लेता है। ‘देखन मैं छोटे लगैं घाव करै गम्भीर’ की उक्ति को ये कहावतें साकार बनाती हैं, इसीलिए इनका विशेष महत्व है।

‘तलाक-उल-बिद्त’ (एक साथ तीन तलाक) के खात्मे का वक्त

□ उवेस सुल्तान खान

साल 2015 में मुझे ‘वैकल्पिक नोबल सम्मान’ देनेवाली संस्था के डेलिगेशन में सदस्य के बौतौर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म, मुम्बई जाने का मौका मिला। यह संस्था इस्लाम के मशहूर विद्वान डॉक्टर असगरअली इंजीनियर ने कायम की थी।

डेलिगेशन की एक महिला सदस्य जो स्वीडन से थीं, वह चाहती थी कि महिला अधिकारों पर लिखी गयीं इंजीनियर साहब की कुछ किताबों को देखें, किताबें मँगायी गयीं, और किताबों के आने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पूरी मेज भर नहीं गयी और कुछ किताबें दूसरी मेज पर भी रखनी पड़ीं।

इतनी सारी किताबों को देखकर स्वीडन से आयी महिला इतनी अभिभूत हुई कि उन्होंने भावुक होते हुए इंजीनियर साहब की किताब ‘वीमेन इन इस्लाम’ उठाकर डेलिगेशन के सदस्यों को दिखाते हुए, कुछ रुंधी हुई तेज आवाज में कहा कि ‘वीमेन इन क्रिश्चियनिटी’ नहीं कर पाये, इसकी हमें जरूरत है।

इंजीनियर साहब ऐसे करिश्मे इसलिए कर पाए क्योंकि उनमें जानने की प्रबल इच्छा होने के साथ ही समझने-बूझने, संवाद करने और समन्वय स्थापित करने की अद्भुत क्षमता थी। आज उनके कद की कोई शखियत हिन्दुस्तान में दिखाई नहीं दे रही।

इंजीनियर साहब, बहुत से रिश्ते बनाये थे, जिनसे दूरियाँ कम हुईं। इंजीनियर साहब शिया बोहरा मुस्लिम थे लेकिन उनके जनाजे की नमाज सुन्नी देवबंदी मत के मौलाना शुऐब कोटी ने पढ़ाई थी।

मौलाना कोटी, मौलाना इनामुल्लाह और मोहतरमा उजमा नाहिद उन लोगों में शामिल रहे, जिनकी सलाह और मदद से इंजीनियर साहब ने मुस्लिम उलेमा के साथ इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों इंजीनियर साहब की मिसाल यहाँ इसलिए क्योंकि मुसलमानों के तमाम समूहों ने ‘तीन तलाक’ (तलाक-उल-बिद्त) के मुद्दे पर आमराय बनाने की बजाय हमेशा की तरह भिड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इनमें ज्यादातर के तर्क दोयम हैं और समझ सतही। फिर भी हमेशा की तरह आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर एक पक्ष है। इसकी कार्यकारिणी में फिलहाल एक छोटा मगर ताकतवर राजनीतिक महत्वाकांक्षी गुट है, जो ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ में सुधार की जो गुंजाइशें मौजूद हैं, उसका तीखा विरोध कर रहा है।

इस गुट ने डॉ. अस्मा जेहरा को तलाके बिद्त का विरोध करने के मुद्दे पर अपना चेहरा बनाया है लेकिन डॉ. अस्मा जेहरा की इस्लाम, कुरान, हदीस और शरिया पर जो सतही समझ है, तो कई बार न्यूज चैनल्स पर दिये हुए उनके बयानों से इसी मसले पर मुसलमानों के बीच आमराय बनाने के लिए 16 मई 2016 में दिल्ली में आल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत की ओर से बैठक बुलाई गयी थी।

इसमें सभी मुस्लिम सम्प्रदायों, उप-सम्प्रदायों, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों, दानिश्वरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी जानकारों को शामिल किया गया। डॉ. अस्मा जेहरा भी मौजूद थीं।

यहाँ उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारतीय मुस्लिम आंदोलन को आरएसएस द्वारा प्रयोजित संगठन करार दे दिया। लेकिन डॉ. अस्मा के इस गैर-जिम्मेदाराना बयान का उसी बैठक में तीखा विरोध हुआ और कहा गया कि हो सकता है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के विचार हमसे अलग दिख रहे हों, पर इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि उनका आरएसएस से जुड़ाव है।

तलाक-उल-बिद्त (एक ही बार में एकतरफा तीन तलाक) पर यह बैठक बहुत ही अहम थी जिसमें सभी समूहों ने ‘एक ही बार में एकतरफा तीन तलाक’ का विरोध कुरान और हदीस की रोशनी में किया गया। वहाँ मौजूद हममें से कई लोग पीछे एक-दूसरे की काना-फूसी करते हुए कहने पर मजबूर थे कि जिस तरह से मुस्लिम उलेमा ने इस मसले पर अपना पक्ष रखा है, वह प्रगतिशील कहलाने वाले लोगों को पीछे छोड़ने वाला है।

तलाक-उल-बिद्त, ‘एक ही बार में एकतरफा तीन तलाक’ का रिवाज सुन्नी हनफी मत के लोग करते हैं, जबकि शिया जाफरिया, सुन्नी गैर-मुक़लिलदीन (अहले हदीस) और दूसरे सुन्नी मतों के मानने वालों में तलाक के दूसरे तरीके हैं।

हिन्दुस्तानी मुसलमानों में बहुलता पायी जाती है, यहाँ मुसलमानों में भी भिन्न मतों को माननेवाले हैं, इसलिए जिस तरह से हिन्दुस्तान में सभी मुसलमानों को एक खाँचे में बाँधने की कोशिश की जा रही है, वह हस्यास्पद होने के साथ ही खतरनाक भी है।

इस बैठक के संयोजक शीर्ष बरेली

आलिम मौलाना सत्यद अतहर अली थे, और सदस्यों में इकरा फाउंडेशन की डायरेक्टर मोहतरमा उजमा नाहिद, जमाते इस्लामी हिन्द के नायब अमीर जनाब नुसरत अली और मरकजी जमीयत अहले हदीस हिन्द के महासचिव मौलाना असगर इमाम मेहदी सलफी थे।

ये सभी आल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के सदस्य होने के साथ ही आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि हिन्दुस्तान के विभिन्न मुस्लिम समूहों में तलाक़-उल-बिदत को खत्म करने पर एक आमराय बन चुकी है सिवाय छिटपुट विरोध के।

इस बैठक में जमियत उलेमा हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद असद मदनी, आल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के अध्यक्ष नावेद हामिद, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉ. सत्यद कासिम रसूल इलियास, शीर्ष बरेलवी आलिम मौलाना तौकीर रजा, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, मौलाना जुनेद बनारसी, जनाब मुजतबा फ़ारूक़ जैसे कदावर लोगों ने शिरकत की।

इस बैठक में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सत्यद राबे हसनी नदवी और उपाध्यक्ष मौलाना सालिम कासमी शिरकत नहीं कर सके तो उन्होंने अपने सन्देश भेजे, इस सबके बावजूद यह जो बैठक थी उसे नहीं होने देने की सुधार इस बैठक की खास बात यह भी रही कि यहाँ अलग-अलग तरह के लोग थे।

हमारे लिए यह पहली बार था, जब महिलाएँ नकाब-हिजाब में भी अपनी बात रख रही थीं और बहुत-सी बिना-सर ढँके भी, बिना परदे के बेबाक राय रख रही थीं, इस पर किसी को एक-दूसरे से कोई ऐतराज भी नहीं था। उलेमा भी इनकी बात ध्यान से

सुन रहे थे और बारीकियों पर गौर कर रहे थे, साथ ही दूसरा तबका भी मुस्लिम उलेमा की अपनी समझ पर पुनरावलोकन करने पर मजबूर था।

हालाँकि इस तरह के प्रयास पहली बार नहीं थे, अतीत में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे मरहूम काजी मुजाहिदुल-इस्लाम कासमी साहब ने इस तरह के कई सफल प्रयास किये थे जो उनकी मौत के बाद थम से गये।

इस बैठक में जो तमाम बिन्दु निकले उनको संयोजित कर, दस-सूत्री प्रस्ताव बनाकर अनुमोदित भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि सुप्रीम कोर्ट में जमियत उलेमा हिन्द और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दाखिल इम्पलीडमेंट एप्लीकेशन में संशोधन की अपील और तलाक-उल-बिदत भी कहा जाता है। उसे सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए खत्म किया जाए और कुरान में दिये हुए 'तलाके अहसन' के तमरीके को स्वीकार किया जाए शामिल है।

इनके अलावा प्रस्ताव में सभी मतों के इस्लामी फिकह (न्यायशास्त्र) को साथ लाते हुए कानूनी बहुलतावाद पर ध्यान देने की अपील और उसका तयशुदा वक्त में कोडीफीकेशन हो; खुला (तलाक लेने का दूसरा तरीका जिसमें दोनों पक्षों की सहमति बनानी होती है) को और आसान बनाने की अपील भी शामिल है।

जिन बिन्दुओं को प्रस्ताव के तौर पर पारित किया गया, वे पुरुषवादी सत्ता को सीधे चुनौती दे रहे हैं, और इस पहल पर और आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही सभी मुस्लिम पक्षों को जिनमें भारतमीय मुस्लिम महिला आंदोलन, बेबाक कलेक्टिव और दूसरे संगठन शामिल हैं, सभी से समझदारी और परिपक्वता की अपेक्षा है क्योंकि

फिलहाल देश की सत्ता उनके हाथों में है जो हर हथकंडे से समाज की बहुलता को खत्म कर एकरूपता स्थापित करने की कोशिश में है, और इस बात को दोहराना गलत नहीं होगा कि युनिफार्म सिविल कोर्ड बहुलतावाद खत्म करने का माध्यम है।

जब यूनिफार्म सिविल कोड पर डॉ. असगर अली इंजीनियर से उनका नजरिया पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वे सुधार के पक्षधर हैं, और यूनिफार्म सिविल कोड के खिलाफ़।

महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है ताकि वे अपने अधिकार जो विभिन्न पर्सनल लॉ में भी मौजूद हैं उन्हें हासिल कर सकें, और उनका कहना था कि यह तरीका स्वीकार्य भी है साथ ही धार्मिक बहुलतावाद को हासिल करने में मददगार भी। □

समविचारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अपील

प्रिय समविचारी संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों से सादर अनुरोध है कि आप या आपकी संस्था द्वारा जो जनहित कार्य या आंदोलन किये जा रहे हैं, उसकी एक संक्षिप्त रपट पत्रिका में उद्घृत मेल पर भेजने की कृपा करें, उसके सम्पादित रूप को हम पाक्षिक पत्र 'सर्वोदय जगत' में प्रकाशित करेंगे।

× × ×

भूल-सुधार

सर्वोदय जगत वर्ष 39, अंक 22, 1-15 जुलाई, 2016 के पृष्ठ 5 पर प्रकाशित 'हिन्द स्वराज' का अमिट सत्य आलेख में लेखक का नाम भूलवश 'डॉ. योगेन्द्र यादव' छप गया है। पाठकगण से अनुरोध है कि उक्त आलेख के लेखक का नाम 'प्रेम प्रकाश' पढ़ें।

—कार्यकारी संपादक

खैरात खाने से इनकार

□ अरविंद अंजुम

जून के तपते मौसम में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह एक खबर आयी। खबर भी काफी खूबसूरत देश से आयी। स्विटजरलैंड से। वहाँ एक जनमत संग्रह हुआ था जिसके परिणाम को लेकर भारत में काफी चर्चा हुई। स्विटजरलैंड में लोगों की बढ़ती बेरोजगारी एवं घटती आय को देखते हुए बेसिक इनकम समूह ने एक प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक वयस्क को 2500 स्विस फ्रैंक (1 लाख 73 हजार रुपये) की सहायता सरकार की ओर से दी जाय। इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह हुआ और 78 प्रतिशत लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। नकारने के पीछे एक तर्क तो यह दिया गया कि उदार शरणार्थी नियम के चलते इस पैकेज का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने की संभावना है और भविष्य में सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पर एक अन्य तर्क दिया गया जो हम भारतीयों के लिए काबिले गौर है। इस प्रस्ताव के विरोधियों ने कहा कि इस प्रकार के पैकेज से पूरी पीढ़ी के काहिल हो जाने की संभावना है। कुल मिलाकर नागरिकों को बैठे-बैठाये खैरात देने का प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर गया।

अब हमलोग जरा सोचें कि इस प्रकार का प्रस्ताव अगर भारत में लाया जाय तो उसका परिणाम क्या होगा? बिना शक-सुवहा कोई भी कह सकता है कि खैरात खाने के पक्ष में 78 क्यों 98 प्रतिशत लोग उठ खड़े होते। लोग क्यों न उठ खड़े हों। जब यहाँ संत भी काम करने को कोई जरूरी दायित्व नहीं मानते। मलूका दास का प्रसिद्ध दोहा तो आपको भी याद होगा ही। भूलने का तो सवाल ही नहीं।

अजगर करे न चाकरी,

16-31 जुलाई, 2016

पंछी करे ना काम।
दास मलूका कह गये,
सबके दाता राम॥

जिस देश में संतन की ऐसी बाणी हो, उस देश में लोग काम करने के लिए प्रवृत्त हों। संत, महात्मा ऐसे भी कोई उत्पादक काम तो करते नहीं। भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन भारत में एक बड़ा क्षेत्र है। कुछ तो मजबूरीवश करते हैं और बाकी की संस्कृति है। काम करना भारत की संस्कृति नहीं है। करे भी तो कौन करे। जिनको काम करना है, उनका संसाधनों पर अधिकार नहीं है और जिनका संसाधनों पर अधिकार है, उनको काम नहीं करना है बल्कि करवाना है। इस तरह संसाधनों के मालिक व संसाधनों से वंचित समूह दोनों काम से बेगाने हैं। विनोबा भावे ने अपनी आत्मकथा—अहिंसा की तलाश में मगनलाल गांधी के हवाले एक प्रसंग का जिक्र किया है। दक्षिण अफ्रीका में उस जमाने में भारतीय मजदूरों के बजाय जापानी मजदूरों से काम लेना लोग पसंद करते थे। उन्हें जापानी मजदूरों को लगभग दूनी मजदूरी देनी होती थी। ऐसा इसीलिए था कि एक तो वे काम लगन से करते थे, दूसरे उन्हें कोई निरीक्षक नहीं रखना पड़ता था।

विश्वगुरु रहे और होंगे-होंगे भारत में इस महान परंपरा-निष्काम से अकाम तक सफर गौरवपूर्ण तरीके से जारी है। काम करनेवालों को सम्मान भी नहीं है। धन अर्जित करनेवालों की जय-जयकार हो रही है।

स्विटजरलैंड के लोगों का फैसला-अकाम वर्ग के लिए एक चुनौती है। यहाँ के भी बेसिक इनकम जैसे समूह हैं जो जनता के

दुःख से द्रवित होकर आठ-आठ आँसू रो रहे हैं। सरकारों पर लगातार दबाव बनाये रहते हैं कि ये करो, वो करो। एक सेमिनार में शिक्षा अधिकार कानून पर चर्चा हो रही थी। एक व्यक्ति तैश में आलोचना करने लगे कि इस कानून में शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि हम कौन-सा समाज बनाना चाहते हैं। क्या जन्म के साथ ही बच्चों को सरकारी पालने के हवाले कर दिया जाय। सरकार की बहुत सी गैर जरूरी योजनाएँ भी अकाम संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं।

इस धमाचौकड़ी के बावजूद स्विटजरलैंड की इस खबर ने एक राहत दी है और बहस को उत्प्रेरित किया है। भारत में इस बहस को तेज करना है। बिना काम के पैसे लेना या काम में फॉकी भरने की संस्कृति को बदलने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है। स्विटजरलैंड से शुरुआत हुई है, अब यहाँ असर देखना बाकी है। □

मानव का विशेष धर्म

जिस प्रकार पशु-जीवन का नियम हिंसा है, उसी प्रकार हमारी जाति का (मानव जाति का) नियम अहिंसा है। पशु में आत्मा सुप्त स्थिति में रहती है, वह शरीरबल के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं जानती। मानव को प्रतिष्ठा के लिए एक उच्चतर धर्म के अनुसरण की अहमशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है।

—गांधी

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 2016-17

प्रिय चम्पारणवासियों!

15 अप्रैल, 1917 को राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर मोहनदास करमचंद गांधी चम्पारण आये थे। 18 अप्रैल को मोतिहारी एसटीओ कोर्ट में चम्पारण छोड़कर जाने के आदेश से इनकार करते हुए सजा के लिए खुद को प्रस्तुत कर दिया था। यहाँ से हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। प्रथम सत्याग्रह के हुए एक सौ वर्ष पूरा हुआ।

गांधीजी के आने से चम्पारणवासी निर्भय बने। किसानों ने निर्भय होकर अपने पर हुए जुल्मों की कहानी सुनाई और बयान लिखवाये। जाँच कमिटी बनी। गांधीजी भी उसके सदस्य बने। कमिटी के सामने बड़ी संख्या में लोग आए। जाँच कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर नीलहे कोठीवालों की मनमानी पर रोक लगी।

चम्पारण आगमन के दौरान गांधीजी ने यहाँ की गरीबी, निरक्षरता और गंदगी को भी देखा। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने तीन स्कूल खोले। महाराष्ट्र से युवा आये और उन्होंने शिक्षण का काम किया। अपनी वकालत छोड़कर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे लोगों ने गांधीजी का साथ दिया।

चम्पारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही गांधीजी महात्मा कहलाये। यहाँ की गरीबी देखकर गांधीजी ने आधुनिक वस्त्र छोड़कर घुटने तक धोती पहनने की शुरुआत की।

चम्पारण सत्याग्रह की सफलता से—

(क) भारत की आजादी के संघर्ष के साथ आम आदमी और सत्याग्रह की पद्धति पूरी तरह जुड़ गये।

(ख) कांग्रेस में गांधीजी का नेतृत्व सर्वमान्य हुआ।

15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली। 30 जनवरी, 1948 को महात्माजी

की जान ले ली गयी। परंतु सत्ता-राजनीति और समाज, सबने गांधीजी की शिक्षा, स्वच्छता संबंधी सीखों और गाँव-किसानी का दुख-दर्द भूला दिया। आजादी के 69 वर्षों के बाद भी चम्पारण के गाँवों में कूड़े और गंदगी के ढेर फैले हुए हैं। गांधीजी के बुनियादी विद्यालय में आज 'श्रम एवं कौशल के साथ सीखने-सिखाने' की बात नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत ऐसी है कि मास्टर साहब और मुखियाजी भी उसमें अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाते।

गाँव-किसानी की हालत तो बहुत ही खराब है। नीलहे गये और मिलहे आये। पाँच हजार एकड़ से ज्यादा जमीन जोतनेवाली चीनी मिल चम्पारण में ही है। जबकि कानून एक चीनी मिल एक सौ एकड़ भूमि ही रख सकती है। खेतिहर मजदूरों की हालत भी बहुत बुरी है। यहाँ खेती में जो मेहनत करते हैं, उनके पास जमीन कम है, या बिलकुल नहीं है। दिल्ली, मुम्बई, पटना, बेतिया में बैठे लोगों या खेती नहीं करनेवालों के पास ज्यादा जमीन है। चम्पारण सत्याग्रह के कारण नीलहों के जुल्म से किसानों को मुक्ति मिली थी। इस शताब्दी वर्ष के दौरान जोत की भूमि हासिल करने के भूमिहीनों-पर्चाधारियों के संघर्ष को तेज करना हमारा एक महत्वपूर्ण काम होना चाहिए।

आज भी हजारों परिवारों के पास घर बनाने तक के लिए भूमि नहीं है। अभियान बसेरा के दौरान राजस्व विभाग, बिहार सरकार के आँकड़े के अनुसार 22 दिसम्बर, 2015 तक यह मालूम हुआ है कि प. चम्पारण में 8514 और पूर्वी चम्पारण में 2419 परिवारों के पास वास की भूमि नहीं है। निश्चित ही, ऐसे परिवारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है जिन्हें मात्र एक-दो डिसमिल वासभूमि है।

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष हमें अवसर देता है कि हम चम्पारण में गांधी के इतिहास को जानें और इतिहास से प्रेरणा लेकर गांधी के चम्पारण की हालत में बदलाव के लिए मिल-बैठकर विचार करें और आगे बढ़ें।

क्या वर्ष 2016-17 में समाज, सरकार और जन-प्रतिनिधि सभी मिलकर चम्पारण के हरेक टोले/वार्ड में एक सामुदायिक शौचालय; शिक्षा में सुधार और सभी परिवारों के पास वास की 5 डि. भूमि तथा बेघरों को घर के लिए काम करेंगे?

ऐसा करके ही हम चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के आयोजन के सच्चे भागीदार बन सकेंगे। स्वराज महात्माजी का ध्येय था। हमें सत्याग्रह के रास्ते से ही स्वराज की ओर बढ़ना है। आजादी मिलने के तत्काल बाद से हिन्दूवादी संगठनों ने गांधी को देश के बँटवारे का दोषी बताना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी गांधी के विचार से दूर होती चली गयी। 1917 में चम्पारण में हिन्दू महात्मा गांधी की जान बत्तक मियाँ ने बचाई। और आज कुछ लोग बचानेवाले की नहीं मारनेवाले गोडसे की जय बोलने में लगे हैं। हमें इस पागलपन का भी शांतिपूर्ण मुकाबला करना है।

निवेदक

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष अभियान

समिति

सम्पर्क केन्द्र

आनंदपुरी, बेलबनवा, सरदार पटेल मार्ग,

मोतिहारी, जेपी स्मृति कुटीर,

सुभाष नगर, बेतिया

सम्पर्क मोबाइल नं.

9835439408, 9431288871,

7250168082, 9470091177 □

16-31 जुलाई, 2016

‘मन की बात अपनों के साथ’

गाय और कुत्ते

□ डॉ. सुगन बरंठ

“मेरी नयी तालीम की व्याख्या यह है कि जिसको नयी तालीम मिली है उसे गद्दी पर बिठाओगे तो फूलेगा नहीं और झाड़ू दोगे तो वह शरमायेगा नहीं। उसके लिए दोनों काम एक ही कीमत के होंगे। उसके जीवन में मौज मस्ती को तो स्थान मिल ही नहीं सकता। उसकी एक भी क्रिया अनुपयोगी और अनुत्पादक नहीं होगी। नयी तालीम का विद्यार्थी बुद्धू तो रह ही नहीं सकता। क्योंकि उसके प्रत्येक अंग को काम मिलेगा। उसकी बुद्धि और उसके हाथ दोनों साथ-साथ काम करेंगे। जब लोग हाथ से काम करेंगे तो बेकारी और भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मेरी नयी तालीम और ग्रामोद्योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि ये दोनों सफल होंगे तब ही सच्चा स्वराज आयेगा।”

—मो. क. गांधी

‘किसके मन में क्या चल रहा है यह तो परमेश्वर ही जाने’ यह कहते हुए भी हम अपने मन की बातें/विचार किसी न किसी से साझा भी करते रहते हैं। इसी मन के विचार-चक्र को हम सभी ‘मन खोलना’ कहते हैं। आस पास की घटनाओं को देखकर अपना मन आपके पास खोलने की इच्छा हुई। यही इच्छा जब तीव्र हो जाती है तो कलम से उतर आती है ‘मन की बात अपनों के साथ’।

आज ऐसे ही हुआ। सुबह हमेशा की तरह लोकसमिति में सफाई यज्ञ चालू था। बगल की झुग्गी में संतोष रहता है। वह अत्यन्त प्रामाणिक गो-सेवक है। परिस्थिति न होते हुए भी तीन-चार गायें पालता है। मैंने उससे कहा, अपनी गली को (सर्सी! नगर-कॉलोनी को) ‘हीरे’ रोग हुआ है।

उसने पूछा ‘मतलब?’।
मैंने कहा, ‘जिसके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, उसे यह रोग लग जाता है। पैसे ज्यादा हुए कि आदमी जर-जवाहरात-मोती-हीरे खरीदता है न? यही वह ‘हीरे रोग’ (महाराष्ट्र में यह सरनेम भी होता है)। अपनी गली के बड़े घर का सरनेम भी यही है, उन्हीं के घर पर कुत्ते थे और उन्हें सँभालने के लिए काफी नौकर-चाकर थे न? पर गत 10 वर्षों में गली में रहनेवाले होटल चलानेवाले से प्राध्यापक तक सभी के हातों में घूमने जाते वक्त कुत्ते दिखायी देने लगे हैं। अब गली में केवल तुम और संजय जोशी दो ही गरीब लोग दिखते हैं जो गायें पालते हैं। बाकी तो सब अमीर लोग हैं।

संतोष जोर से हँसा और बोला, ‘काका! सुनो तो, कल कृष्ण सर के बेटों ने 60 हजार के दो कुत्ते खरीदे।’

दोस्तो! मैं तो साफ सपाट।

कृष्ण के घर गाय नहीं तो 60 हजार के कुत्ते?

हम दोनों बहुत जोरों से हँसे। हँसते-हँसते मन में विचार आया—इस प्रदेश में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून बनाते समय कमलाबाई ने कारण क्या दिये—‘यह जनता की भावना का सवाल है। समाज भावनाओं पर चलता है तर्क पर नहीं।’

एक तरफ किसान को गाय-बैल सँभालना पुसाता नहीं, इसलिए उन्हें बेचकर ट्रैक्टर से खेती के काम कर रहा है, तो दूसरी ओर कृष्ण के घर कुत्ते।

उसपर ये ही कुत्ते पालनेवाले बोलेंगे, ‘यह हमारी आस्था और धर्म का सवाल है। गाय बची तो ही हिन्दू धर्म बचेगा।’

सोचा! चलो गीता के माध्यम से धर्म की स्पष्टता करनेवाले से ही सीधे फोन से बात करें। मैंने सीधे कृष्ण को फोन किया तो वे ग्वालबाल संग वृदावन में राधा एवं गोपियों के साथ रास-क्रीड़ा में व्यस्त। फोन एक जैसा एंगेज। जब रहा न गया तो मैंने कृष्ण को व्हाट्स अप पर मैसेज भेजा।

कृष्ण मुझे व्हाट्स अप पर जवाब भेजा—‘सुगन! भाई हो किस दुनिया में? अरे! 1982 से गोवंश कत्ल बंद हो, इसलिए तुम सर्वोदयी देवनार कतलखाने के सामने सत्याग्रह कर रहे हो न? विनोबा का आदेश कि ‘कृषि प्रधान देश में किसी भी उम्र के गाय-बैल की कतल न हो और मांस का निर्यात बंद हो’ इस माँग को लेकर सत्याग्रह करो। उन्हीं विनोबा ने धुलिया की जेल में 1931 में गीता पर प्रवचन दिये जो सानेगुरुजी तथा खानदेश गांधी बालुभाई मेहता ने लिख लिये। दुनियाभर की 26 भाषाओं में जिसके अनुवाद हुए। वही ‘गीता प्रवचन’ पढ़कर आचरण करनेवाले मेरे 8 लाख गोसेवक भक्तों ने देवनार में 8-15 दिन रहकर अपार कष्ट, यातना झेलकर अपने खर्चे से 33 साल 3 माह तक सत्याग्रह चलाया, यह तू ही तो कहते घूमता है। मैं तो वह तेरा भाषण मथुरा एफ.एम. पर सुनते रहता हूँ। वृदावन में कहाँ रेडिया या टी. वी.। इन सत्याग्रहियों ने देशभर इसके लिए लाठियाँ झेलीं, हड्डियाँ टूटीं पर न शिकायत की न पुलिस में गुनाह दाखिल किया। खाटीक, कुरेशी तुम्हारे दोस्त बन गये। यहाँ तक कि बाबरी के बाद मुम्बई में हुए बम स्फोट और दंगे के समय मुस्लिमों ने तुम्हारी सत्याग्रह कुटिया में आसरा लिया। →

नीबू के औषधीय गुण

□ प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव

भारत में अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष के आठ महीने से अधिक गर्मी पड़ती है। इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए प्रकृति ने हमें नीबू नामक नायाब तोहफा दिया है, जिसके रस के सेवन से एक ओर जहाँ शरीर में अनुकूलन क्षमता का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर विटामिन सी की कमी भी दूर होती है। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसका सेवन करें, तो अनेक रोग भी दूर कर सकते हैं। कुछ रोगों को अकेले दूर करने की इसमें सामर्थ्य है और कुछ रोगों को अन्य प्राकृतिक देव्यों के साथ मिलाकर उपयोग करने से निश्चित लाभ होता है।

1. आँख के रोग में लाभदायक : शरीर का यह एक ऐसा अंग है, जिसके अभाव में प्रकाश एवं अंधकार का अंतर नहीं किया जा सकता। किसी भी भौतिक वस्तु का दीदार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही ठीक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की आँख में मोतियबिंद हुआ हो, तो ऐसे रोगी को 1:4 के अनुपात में नीबू और गुलाब जल मिलाकर

नियमित रूप से सुबह-शाम उपयोग करना चाहिए। आँख आने पर भी इसी अनुपात में छोटी मधुमक्खी का शहद, अदरक एवं नीबू का रस मिलाकर नियमित रूप से आँख में डालने से मोतियबिंद ठीक हो जाता है। नियमित रूप से एक गिलास पानी में एक नीबू निचोड़ कर पीने से आँख की ज्योति आजीवन बनी रहती है। आँख के सामान्य रोगों में एक चम्मच पानी एक बूँद नीबू डालकर सुबह-शाम डालने से रोग दूर हो जाते हैं।

2. कान के रोग में लाभदायक : कान के रोगों में भी नीबू बहुत ही फायदेमंद है। जिन व्यक्तियों को कान के रोग हों, वे 240 ग्राम नीबू के रस को 60 ग्राम सरसों या तिल के तेल में मिलाकर उबाल लें, पकते-पकते जब उसमें से चट-चट की आवाज बंद हो जाए, तब उसे उतार लें, ठंडा करके एक शीशी में भर लें। फिर कान के किसी भी रोग में 2-2 बूँद डालें। इससे कान दर्द में आराम मिलने के साथ-साथ कान के पीव बंद हो जाता है, उसकी खुजली मिट

जाती है, बहरेपन की स्थिति नहीं आती है। यानी यदि कम सुनाई दे रहा हो, तो भी फायदा होता है। यदि किसी रोगी का कान बह रहा हो, तो इस दवा को देने के साथ-साथ उसे सुबह-सुबह खाली पेट नीबू-पानी का भी सेवन करना चाहिए।

3. खाँसी रोग में लाभदायक : खाँसी रोग में भी नीबू काफी फायदेमंद होता है। जिन व्यक्तियों को खाँसी आ रही हो, साथ में दमा की भी बीमारी हो, उसे 3 ग्राम नीबू के रस में 12 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से भयंकर से भयंकर खाँसी मिट जाती है। यदि खाँसी के साथ खून निकल रहा हो तो चौलाई के एक कप रस में एक चम्मच नीबू का रस मिलाकर रात के समय पीने से खून आना बंद हो जाता है। यदि सर्दी लग जाने से खाँसी आ रही हो, तो रोज रात को आधा लीटर पानी में दो बड़े नीबू का रस मिलाकर उसे शहद के साथ पीने से खाँसी तुरंत ठीक हो जाती है। यदि रोगी को बुखार भी हो तो उसे पुढ़ीने के पत्ते के साथ 4-5 काली मिर्च डालकर चाय की तरह पानी में उबाल लें,

दिखता है।

जब लोग मेरा नाम लगाकर गाय के बदले कुते पाल रहे हों। अहिंसा परमोर्धम वाले भैंस के दूध को ज्यादा दाम देते हों। गोशाला की मदद न करते हों। दूसरी ओर करोड़ों खर्च करते हों तब मुझे कितनी वेदनाएँ होती होंगी? तुम मेरी जगह रहकर सोचो जरा।

एक बात ठीक से समझ लो। धर्म ग्लानि में गया तो आने का अभिवचन मैंने

दिया है किन्तु धर्म ग्लानि से आगे कोमा या वैटिलेटर पर हो, उस युग में मेरी अपेक्षा मत करना। अब आप ही सब मिलाकर तय करो।'

बार-बार व्हाट्स अप पर मैसेज पोस्ट कर मैंने चाटिंग चालू रखने का प्रयास किया तो एक ही आवाज आती रही 'यू आर रिमूवल फ्रॉम दिस ग्रुप'।

बुहारी जगह पर रखी और मैं त्वरित निवास की ओर निकल पड़ा। □

→ विनोबा की माँग यह केवल कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए थी। पर अब वे मेरे भूमिपुत्र तो ट्रैक्टर से आकर्षित हैं। परसों मेधा ताई के साथ गीरणा चीनी मिल भ्रष्टाचार के समय किसानों की छीनी गयी जमीन में हल चलाने के सत्याग्रह के लिए तुझे दो हल जुटाने में कितनी तकलीफ हुई। यह मैं मथुरा चैनल पर देख रहा था। मेरे सीआईडी होते हैं चारों ओर। अब तो मैंने पृथ्वी पर सीसीटीवी भी लगवा लिये हैं। अतः मुझे सब सर्वोदय जगत

ठंडा होने पर उसमें सेंधा नमक और नीबू का रस मिलाकर पीने से लाभ होता है।

4. चर्म रोगों में लाभदायक : नीबू चर्म रोगों में भी बहुत लाभदायक है। जिन रोगियों को खुजली होती हो, उन्हें नीबू को दो भागों में काट कर उसमें सेंधा नमक भर देना चाहिए। उसे छाया में सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना लें, इस चूर्ण को खुजली वाले स्थान पर लगावें, इससे खुजली मिट जाती है। यदि पूरे शरीर में खुजली हो रही हो, तो गर्म पानी में नीबू निचोड़ कर नहाने से भी खुजली मिट जाती है। नीबू में फिटकरी भर कर थोड़ी देर रखने के बाद लगाने से भी खुजली मिट जाती है। यदि खुजली से तुरंत राहत चाहते हों, तो कपूर को चमेली के तेल में मिला लें, उसमें नीबू की कुछ बूँदें निचोड़ कर लगाने से खुजली में तुरंत आराम मिलता है। मुल्तानी मिट्टी में नीबू मिलाकर चर्म रोग की जगह लगाने से चर्म रोग भी दूर हो जाता है, और त्वचा भी नर्म और मुलायम बनी रहती है। जिनको घमौरिया हो गयी हों, वे नीबू पानी से उसे धो लें, लाभ मिलेगा। जिन रोगियों को दाद हो गयी हो, वे नीला थोथा एवं फिटकरी को भुन कर पीस लें और उसमें नीबू मिला कर दाद पर लगायें, पुराना से पुराना दाद भी मिट जायेगा। दाद और खाज के रोगी उबले हुए नीबू के रस में शहद और अजवाइन के साथ सुबह-शाम सेवन करने से भी आराम मिलता है।

5. गैस रोगियों के लिए लाभदायक : नीबू गैस रोगियों को बहुत लाभ पहुँचाता है। यदि किसी को गैस के कारण पेट दर्द हो रहा हो, तो उसे एक कप पानी में चौथाई कप पुदीने का रस और उसमें आधा नीबू निचोड़ कर देने से गैस के कारण हो रहे पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। जिन रोगियों को गैस बनती है, वे एक चम्मच नीबू के रस में एक-एक चम्मच शहद और अदरक का रस मिलाकर दिन में तीन बार

चाटने से गैस बनने की प्रक्रिया बन्द हो जाती है। पेट गैस की वजह से अगर सर चकराने लगे तो ऐसी अवस्था में एक प्याले गर्म पानी में एक नीबू निचोड़ कर आठ दिन पीयें। सर चकराना, खट्टी डकार आने में लाभ मिलेगा। यदि गैस से तुरंत राहत चाहते हों, तो एक नीबू के रस में एक चम्मच खाने का सोडा को एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से तुरंत गैस में राहत मिल जाती है।

6. मूत्र रोगों में लाभदायक : जिन रोगियों को मूत्र विकर हो, उनके लिए नीबू रामबाण औषधी है। कट्टू के एक गिलास रस में एक नीबू और एक चुटकी नमक मिलाकर गर्म पानी में एक नीबू और एक चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से पेशाब का विष निकल जाता है। इस मिश्रण के सेवन से सौन्दर्य भी बढ़ता है। ककड़ी के रस में नीबू का रस मिलाकर और उसमें थोड़ा-सा जीरा डालकर पीने से जलन में राहत मिलती है। जिन रोगियों को पेशाब में जलन रोग के रूप में विकसित हो गया हो, उन्हें आवले के उबले पानी में नीबू रस और सिरका मिलाकर एक बोतल में बंद करके रख दें। सुबह-शाम इसका सेवन करें। कुछ दिनों में ही जलन का रोग समाप्त हो जायेगा।

7. स्त्री रोगों में लाभदायक : स्त्री रोगों में भी नीबू बहुत राहत प्रदान करता है। यदि रति क्रिया के दौरान स्तन में घाव हो जाए, तो नीबू और प्याज को इतना आग में भुन लें कि जल जाए, फिर उसे नीम की पत्तियों की राख में अच्छी तरह मिला लें। फिर पानी में डाल कर घोल बना लें, इस घोल को स्तन के घाव पर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। यदि ज्यादा मसलने के कारण स्तन में दर्द हो जाये, तो नीबू के रस को शहद में मिलाकर स्तन पर मल दें। खाने के लिए दस ग्राम काली मिर्च, पाँच ग्राम हल्दी और दो ग्राम दालचीनी पीस कर तीन खुराक बना लें, बीस ग्राम शहद में

इसे घोल लें। हर तीन घंटे में इसका सेवन करते रहें। स्तन दर्द से तुरंत राहत महसूस होगी। जिन रोगियों को स्त्री संग के बाद कमजोरी महसूस होती हो, उन्हें एक गिलास पानी में नीबू रस निचोड़ कर रति क्रिया करनी चाहिए। रति क्रिया के बाद भी एक गिलास पानी में नीबू मिलाकर पीने से पहले जैसी ताजगी बनी रहती है। गर्भावस्था में उल्टी आने पर बर्फ के पानी में नीबू मिलाकर पीने से आराम मिलता है। जिन औरतों को हिस्टीरिया की बीमारी हो, उन्हें गर्म पानी में नीबू का रस, नमक, जीरा, भुनी हुई हींग, पुदीना मिलाकर एक महीने सुबह-शाम पीने से आराम मिलता है। इसके अलावा नीबू के बहुत से सामान्य उपयोग घरों में किये जाते हैं। जैसे नीबू के द्वारा त्वचा पर दाग-धब्बे मिटाए जाते हैं। इसे लगाने और प्रयोग करने से शरीर सौन्दर्य में वृद्धि होती है। जिनके चेहरे पर कील-मुहासे निकलते हैं, उन्हें लाभ पहुँचता है। जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ-झाई आने लगी हों, उन्हें भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार की अनेक समस्याओं से नीबू हमें निजात दिलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से अपने भोजन में नीबू का उपयोग करना चाहिए। □

समाजवादी समागम

9 अगस्त 1942 के भारत छोड़े आंदोलन को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2016 को लखनऊ के गांधी भवन में समाजवादी समागम का आयोजन किया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीलम ने इसकी तैयारी के लिए पुणे, कानपुर, लखनऊ में सभाएँ की हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की स्वागत समिति का अध्यक्ष मेधा पाटकर को नियुक्त किया है और इसके सफल संचालन के लिए 15 सदस्यीय कमिटी का गठन हुआ है।
-डॉ. सुनीलम

भारत की संस्कृति जड़ नहीं है

□ रमेश गुप्त

संस्कृति जड़ नहीं होती, संस्कृति धारा होती है, जो लगातार बहती रहती है और एक धारा में कई धाराएँ मिलकर संस्कृति विशाल दरिया का रूप ले लेती है। भारत की संस्कृति कभी अरण्य संस्कृति थी, कभी यहाँ द्रविड़ संस्कृति का उदय हुआ, सिन्धु घाटी की संस्कृति भी दुनियाभर में प्रसिद्ध रही, फिर आर्य संस्कृति आयी, अरब संस्कृति, मंगौल-संस्कृति, ईरानी, गुगुल, तुर्क और अन्त में यूरोपियन संस्कृति इस देश में आयी और इन सबको हमने आदरपूर्वक अपनी संस्कृति में समावेश करके मिलीजुली हिन्दुस्तानी संस्कृति विकसित की।

भारत की सम्पन्न 14 भाषाएँ हैं और बोलियाँ तो अनगिनत हैं। भारत की भाषाओं में दुनियाभर के शब्द आपको मिल जायेंगे स्वयं हिन्दी और हिन्दू शब्द भारत के अपने शब्द नहीं बल्कि ईरान के दिये हुए शब्द हैं और शुद्ध फारसी भाषा के शब्द हैं। ईरानी संस्कृति आने से पहले भारतवासी अपने आपको वैदिक धर्मों कहलाते रहे, हिन्दू नहीं।

हमारी बोलियों में विदेशी भाषाओं के अनगिनत शब्द इस तरह से घुल-मिल गये हैं कि हम उन्हें हिन्दुस्तानी भाषा ही कहते हैं। कितनी ही मिठाइयों के नाम शुद्ध फारसी के हैं जैसे कलाकन्द, गुलाबजामुन इत्यादि। यह याद रहे कि पुरानी फारसी और संस्कृत सभी बहनें हैं, पश्तो और संस्कृत के भी बहुत से शब्द आपस में मिलते हैं। संस्कृत के व्याकरण के पंडित पाणिनि खालिस पठान थे। वेदों की बहुत-सी ऋचाएँ अफगानिस्तान और पख्तूनिस्तान में कही गयीं, संस्कृति का केन्द्र ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकस्तान,

पख्तूनिस्तान और बाद में अविभाजित पंजाब रहा है, जिसमें वर्तमान हिमाचल और हरियाणा भी शामिल है। वर्तमान उत्तर भारत की औरतों का प्रचलित लिवास सलवार, जम्पर और दुपट्टा खालिस ईरानी लिबास है। हमारी भाषाओं में आज अनगिनत यूरोपियन भाषाओं के शब्द ऐसे घुलमिल गये हैं कि कौन-सा शब्द भारतीय भाषाओं का है और कौन-सा यूरोपियन भाषाओं का, यह पहचान होना अति मुश्किल हो गया है। हमारा रहन-सहन, खान-पान भी मिलाजुला हो गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को साँझी-संस्कृति कहा गया है। इसलिए इसका हिन्दूकरण या इस्लामीकरण नहीं हो सकता। बहुत-सी सांस्कृतिक धाराओं से मिलकर वर्तमान भारतीय संस्कृति बनी है और इस पर हमें गर्व है, हिन्दी न हिन्दुओं की भाषा है और न उर्दू मुसलमानों की। भाषा का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अमीर खुसरो जो एक मुसलमान थे, उन्होंने हिन्दी की बढ़चढ़ कर सेवा की। हिन्दी जगत् को उन्होंने दोहे, गीत और संगीत दिये, कबीर, जायसी, रसखान आदि मुसलमान संत कवि थे। मुंशी प्रेमचन्द, कृष्णचन्द्र, फिराक गोरखपुरी, अश्क, हंसराज रहबर, त्रिलोक चन्द महरूम, जोश मलसयानी और अनगिनत हिन्दू साहित्यकारों ने उर्दू साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की है और कर रहे हैं। आज भी हिन्दी के नये लिखनेवालों में मुसलमान लेखकों की कमी नहीं है। बंगाल के मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं बल्कि बंगाली है। इसी तरह दक्षिण भारत के हिन्दुओं की भाषा हिन्दी न होकर तमिल,

तेलगू, कन्नड़ और रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान और ईसाई बड़े प्यार से लिखते और बोलते हैं।

संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं बल्कि एक निरन्तर बहनेवाला बहाव है और इस बहाव में कितनी संस्कृतियाँ आपस में मिलकर एक ऐसा महान् देश बना है जहाँ दुनियाभर के धर्म मौजूद हैं और अलग-अलग रीतिरिवाज हैं। इसलिए यहाँ ‘हिन्दी, हिन्दू, हिन्दोस्तान’ का नारा लगाना भारत की महान् संस्कृति से खिलवाड़ करने के बराबर है। भारत का भला इसी में है कि हम सभी धर्मों, सभी मान्यताओं, सभी बोलियों और भाषाओं, सभी संस्कृतियों का समान आदर करें और सभी को पूरी तरह फलने-फूलने का अवसर दें। अगर इस देश में कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया तो इस देश में अलगाववाद पैदा होगा और अलगाववाद के कारण इस देश में आपसी झगड़े पनपेंगे और यह देश पारा-पारा होकर बिखर जायेगा। □

श्री महावीर त्यागी का स्वास्थ्य

हरियाणा सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी एवं वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ता श्री महावीर त्यागी पिछले दो महीने से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके पौरुष ग्रन्थि में कैंसर होने का शक था, इसके कारण चिन्ता और बढ़ गयी थी। 30 जून को मेरठ में उनका सफल ऑपरेशन हुआ। और डॉक्टरों का शक निराधार निकला। श्री त्यागीजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

सर्व सेवा संघ उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।

लड़का और जामुन

□ बबलभाई मेहता

एक था लड़का। एक दिन व घूमता-घामता गाँव की सीमा पर जा पहुँचा। वहाँ उसने जामुन का एक सुन्दर पेड़ देखा। लड़के का जी जामुन खाने के लिए मचल उठा। लेकिन लड़का था ठिगना और पेड़ था ऊँचा। लड़का था दुबला-पतला और पेड़ का तना था मोटा-चौड़ा। लड़के ने पेड़ की ओर ताक कर देखा, तो उसे डाल पर एक बन्दर नजर आया। जो पके-पके जामुन तोड़ रहा था और खा रहा था।

लड़का बोला—‘बंदर भैया, मुझे जामुन नहीं दोगे?’

बंदर ने कहा—“जामुन खाने हों, तो ऊपर आ जाओ।”

लड़का—“मैं छोटा हूँ। मुझे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता। बन्दर भैया मुझे जामुन दो न?”

बंदर ने एक पका जामुन तोड़ कर नीचे फेंका। लड़के ने उसे झेल लिया। वह जामुन लेकर हँसता-हँसता अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी बहन मिली।

बहन—“भैया क्या लाये हो?”

लड़का—“जामुन है, तुम खाओगी?”

बहन—“जामुन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।”

भाई ने बहन को जामुन दे दिया। वह खुश हो उठी, हँसते-हँसते जामुने खाने लगी।

लड़का फिर जामुन के पेड़ के नीचे पहुँचा। बंदर से बोला। “बंदर भैया, बंदर भैया मुझे जामुन दो न?”

बंदर—“भाई तुम कैसे लड़के हो! तुम्हें एक बार जामुन दे दिया, वह कहाँ गया?”

लड़का—“वह जामुन तो मैंने अपनी बहन को दे दिया।”

बंदर—“अपनी बहन को क्यों दिया?”

लड़का—“बंदर भैया, भला बहन को कोई कैसे इंकार करे? हम तो मनुष्य ठहरे, हममें यह रिवाज है कि पहले भाई बहन को देता है, फिर खाता है।”

बंदर—“अच्छा ऐसी बात है। तुम्हारा यह रिवाज तो बहुत भला मालूम होता है।”

बंदर ने खुश होकर दो बढ़िया जामुन तोड़े और लड़के को दे दिये।

लड़का जामुन लेकर अपने घर गया। घर में उसके माता-पिता बैठे थे। लड़के ने एक जामुन अपनी माँ को दिया। लड़के की माँ ने वह जामुन लड़के के बाप के हाथ पर रख दिया। लड़के ने दूसरा जामुन भी माँ के हाथ में रख दिया। माँ-बाप दोनों अपने लड़के के दिये जामुन बड़े चाव से हँसते-हँसते खाने लगे।

लड़का भी खुश होता हुआ, जामुन के पेड़ के नीचे पहुँचा और कहने लगा—“बंदर भैया, बंदर भैया, जामुन दो न?”

बंदर—“बड़े अजीब लड़के हो भाई,

बार-बार जामुन माँगने चले आते हो। जो जामुन दिये थे वे कहाँ गये?”

लड़का—“वे जामुन तो मैंने अपनी माँ और अपने पिता को दे दिये।”

बंदर—“क्यों दे दिये?”

लड़का—“हम मनुष्य हैं, हमारा रिवाज है कि हम माँ-बाप, अड़ोसी-पड़ोसी को खिलाकर खाते हैं।।”

बंदर—“भाई वाह! तुम्हारा यह रिवाज भी बहुत अच्छा है।”

बंदर ने खुश होकर जामुन की एक डाल पकड़ी और उसे हिलाना शुरू किया। नीचे जामुन का ढेर लग गया। लड़के ने मुहल्ले में उसके कई मित्र थे, वे उस रास्ते में खड़े मिल गये। उन्हें देखकर लड़का बोला—आओ, आओ हम मिलकर जामुन खाएँ। मैं ढेर के ढेर जामुन लाया हूँ। मुहल्ले के सब बच्चे उस लड़के के घर गये।

साफ-सुथरा और लिपा-पुता आँगन था। लड़के ने सब मित्रों को वहाँ एक धेरे में बैठा दिया और फिर सबको एक-एक मुट्ठी जामुन दिये। सबने खुश होकर जामुन खाए। गुठलियाँ सब एक जगह इकट्ठा करके कचरे की टोकरी में डाली। लड़का पानी लाया। सबके हाथ धुलाये। फिर लड़के ने सबको बंदर की कहानी सुनाई और सब खुश होकर अपने-अपने घर लौट गये।

प्रस्तुति : प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव